


Manual for **Child Budgeting in Bihar**





MANUAL FOR CHILD BUDGETING IN BIHAR

DEPARTMENT OF FINANCE GOVERNMENT OF BIHAR

Technical Collaboration UNICEF BIHAR FIELD OFFICE AND ASIAN DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE (ADRI)

October 2021

Suggested Citation

Government of Bihar, Department of Finance, 2021, *Manual for Child Budgeting in Bihar*, Patna, Government of Bihar.

© Copyright

Department of Finance, Government of Bihar, October 2021.

Guidance

S. Siddharth, Prabhat P Ghosh, Nafisa Binte Shafique

Technical Team

Barna Ganguli, Urvashi Kaushik, Prasanna Ash, Rahbar Ali, Bakshi Amit Kumar Sinha, Sanjeev Mittal, Ajay Kumar Thakur

Acknowledgements

The team would like to express their gratitude to the Department of Finance, Government of Bihar for their support. In particular, we would like to thank Mr. Sanjay Kr. Sinha, Statistical Officer, Directorate of Economics & Statistics, Mr. Birendra Kumar, Officer on Special Duty (OSD), Social Welfare, Mr. Avinash Kumar Pandey, State Project Manager (SPM), State Health Society, Bihar and Mr. Pradeep Joseph, Consultant, ICDS.

Facilitation

Sudip K. Pandey, Suryakant Kumar, Anjani Kumar Verma, Suraj Shankar, Prakash Kumar, Shailey Tucker

Graphic Design

Poddar Mayur, Harendra Kumar

Financial Support

UNICEF Bihar Field Office, Patna.

Manual for Child Budgeting in Bihar



Shri Tarkishore PrasadDeputy Chief Minister and
Minister of Finance
Bihar



Message

I am pleased to introduce the Manual on Child Budgeting in Bihar which has been a collaborative initiative of the Department of Finance, Government of Bihar, UNICEF and Asian Development Research Institute (ADRI). This is the first time that such a manual on Child Budgeting is being brought out by the Government of Bihar. Children constitute 48 percent of Bihar's population and it is the responsibility of the state to ensure that children are given opportunities and facilities to develop in a holistic manner. Thus, to accomplish this accountability, the Child Budget as a separate budget document is being laid annually in the Legislative Assembly of Bihar since 2013-14. Since then, it has evolved as a crucial tool of public finance management with respect to the needs of the children.

This Manual is expected to serve as a comprehensive reference material not only for the officers involved in the Child Budgeting process, but also for other users and interested stakeholders as well. I am sure this Budget Manual would be a valuable document for promoting welfare of children in Bihar.

Tarkishore Prasad

Manual for Child Budgeting in Bihar



Dr. S. SiddharthAdditional Chief Secretary
Department of Finance
Bihar



Message

The Government of Bihar has been regularly presenting a Child Budget since 2013-14. This exercise is in response to the development needs of children who represent the future of the state. The development of children has four important dimensions — health, education, protection and participation. During the recent past, the state government has undertaken several steps to strengthen all these dimensions of child welfare. The financial details of these important development efforts are presented in the Child Budget document, which is a supplement to the main Budget Document. The data from Child Budgets help the development experts to judge the nature and trend of child development programmes in Bihar. This Manual is published to help the government officials who prepare the Child Budget and also enhance their professional capacity for the assignment.

Dr. S. Siddharth



Nafisa Binte Shafique Chief, UNICEF Office for Bihar, India



Message

I extend my best wishes to the Government of Bihar for the launch of the Manual for Child Budgeting in Bihar. I am happy to learn that the Department of Finance, Government of Bihar, in collaboration with UNICEF and the Asian Development Research Institute (ADRI) is bringing out the first Child Budget Manual. Since children are our future asset, adequate allocation is required in areas of health, nutrition, education, water and sanitation, social protection as well as child protection and participation, so that a child can grow up into a responsible and healthy citizen. I am sure that this Manual will serve the intended purpose of comprehending the processes of child budgeting and would provide deeper understanding to the officials about their roles and responsibilities towards preparation of the Child Budget. The manual is expected to serve as a guide to the government department officials for Child Budgeting procedures and practices.

UNICEF's mandate is to uphold the rights of every child and provide support to government as the highest duty bearer. It is a great moment for us to be a part of the joint collaboration in preparation of the child budgeting manual. When programme budgets are developed through a careful, step-by-step process, they become valuable planning tools. I take the opportunity to congratulate the team and highly appreciate the efforts made by them to produce a comprehensive and useful document towards promoting and strengthening the rights of the children in the state.

Nafisa Binte Shafique

Manual for Child Budgeting in Bihar



Dr. Prabhat P GhoshMember - Secretary
Asian Development Research Institute (ADRI)



Message

Thanks to development experience across the world and years of advocacy, welfare of children is now considered to be a key component of strategy for human development. In the specific context of Bihar and India, it is also well known that the state governments have to play a significant role in promoting children's welfare, through well designed programmes for health, education and nutrition. These programmes also need to be adequately funded. For judging the commitment of the state government towards child welfare, it is extremely necessary to prepare a Child Budget, to supplement the main Budget document. From a Child Budget document; one can know the share of expenditure on child development in the total budget, the relative importance attached to different components of child welfare and, finally, the operational efficiency of the various child development programmes. This manual has been prepared to enhance the professional capacity of the state government functionaries who are involved in the preparation of Child Budgets. I am sure, by using this manual, the functionaries will now be able to improve the quality of the Child Budget document.

Dr. Prabhat P Ghosh

Content

01 Introduction

| 1.1 | Child Population in Bihar | 1 |
|-----|-----------------------------|---|
| 1.2 | Status of Child Development | 3 |
| 1.3 | Purpose of the Manual | 5 |
| 1.4 | Structure of Manual | 5 |

02 State Budget: Concept and Process

| 2.1 | Accounts of State Government | 6 |
|------|---|----|
| 2.2 | Components of Consolidated Fund | 8 |
| 2.3 | Types of Deficits | 8 |
| 2.4 | Budget Figures | 9 |
| 2.5 | Role of Comptroller and Auditor General (CAG) | 10 |
| 2.6 | Finance Commissions | 10 |
| 2.7 | Scheme Expenditure | 11 |
| 2.8 | Budget Cycle/Process | 12 |
| 2.9 | Present Accounting Classification | 14 |
| 2.10 | Estimates of Expenditure | 16 |
| | | |

03 Understanding the Child Budget

| 3.1 | Present Status | 20 |
|-----|-----------------------------------|----|
| 3.2 | How to Undertake Child Budgeting? | 21 |
| 3.3 | Methodology | 22 |
| 3.4 | Participatory Budgeting | 26 |
| 3.5 | Suggestions | 26 |

04 Annexures

Glossary

UNCRC : United Nations Child Rights Convention

NPAC : National Plan of Action for Children

UNICEF : United Nations Children's Fund

ADRI : Asian Development Research Institute

CAG : Comptroller and Auditor General

CAGR : Compound Annual Growth Rate

BCO : Budget Controlling Officer

ACA : Additional Central Assistance

CSS : Centrally-Sponsored Schemes

PPP : Public-Private Partnership

MTEF : Medium-Term Expenditure Framework

CGA : Controller General of Accounts

UN : United Nations

PFMS : Public Financial Management System

CFMS : Comprehensive Financial Management System

PB : Participatory Budgeting

CSO : Civil Society Organisation

SC : Scheduled Caste

ST : Scheduled Tribe

MBC : Most Backward Classes

SDG : Sustainable Development Goals

RE: Revised Estimates

BE : Budget Estimates

NFHS : National Family Health Survey

SRS : Sample Registration System

RGI : Registrar General of India

DISE : District Information System for Education

01 Introduction

The well-being of children deserves the utmost attention of society and the state for several reasons. From a purely humane consideration, it should be realized that, if a child is denied proper health and educational support, he or she loses the pleasure of childhood and it is a loss that can never be compensated for. Second, children are the future of any nation and their development deserves maximum attention of the state because what is done for them today will determine the progress, environment and other prospects of the nation in the future. In this perspective, the status of children is considered to be an extremely sensitive indicator of how rights-based is the development process of a country. A third rationale for the state to allocate adequate financial resources for children's welfare emerges for its obvious implications on the all-important goal of poverty elimination. When poor parents are unable to provide proper health and education facilities for their children with their own resources, after attaining adulthood or even earlier, their children join the labour force as unskilled workers in low-wage occupations, leading to intergenerational poverty. The only option to break this cycle of poverty is to ensure comprehensive development for all children by the state that will produce skilled workers and active citizens.

1.1 Child Population in Bihar

According to United Nations Child Right Convention (UNCRC), which has been ratified by India, a child is defined as one who has not crossed 18 years of age. The Juvenile justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, of the Central Government also follows this definition of a child. With about 11 percent of country's total population, Bihar has the second highest child population (0–18 years) among 28 states (4.98 crore) (2011 census) (Table 1.1). This accounts for 47.8 percent of the total population of Bihar. For the country as a whole, the child population is 47.21 crore, which is 39.0 percent of the total population. In other words, the share of children in total population is more in Bihar (47.8 percent) than in India as a whole (39.0 percent). From Table 1.1, one can also notice another demographic difference between Bihar and India, and this relates to the distribution of the child population by age-groups (0-6, 7-14 and 15-18 years).

In Bihar, children of younger age-groups (0-6 and 7-14 years) account for 83.8 percent of total children, with the corresponding share standing much lower at 78.8 percent for the while country. Further, it is necessary to note that, in Bihar, the sex ratio (females per 1000 males) is 935 for the age-group 0-6 year, and it steadily declines to 774 for the age-group 15-18 years. For India, the sex ratio at birth (0-6 years) is lower at 918, but the decline is moderate and it is 876 for the age-group 15-18 years. In other words, the sex ratio at 0-6 years is better in Bihar; but, for the age-group 15-18 years, the sex-ratio is better for India as a whole.

Table 1.1: Child Population in Bihar and India (2011)

| Indicators | 0-6 Year | 7-14 Year | 15-18Year | 0-18Year | | |
|--|----------|-----------|-----------|----------|--|--|
| BIHAR | | | | | | |
| Number of Children (lakh) | 191.3 | 225.9 | 80.8 | 498.0 | | |
| Child Population as percentage of Total Population | 18.4 | 21.7 | 21.7 | 47.8 | | |
| Percentage Distribution of Child Population by Age-groups | 38.4 | 45.4 | 16.2 | 100.0 | | |
| Sex Ratio | 935 | 913 | 774 | 897 | | |
| | INDIA | A | | | | |
| Number of Children (lakh) | 1645.2 | 2071.3 | 996.7 | 4721.2 | | |
| Child Population as percentage of Total Population | 13.6 | 17.2 | 8.2 | 39.0 | | |
| Percentage Distribution of Child Population by Age-groups | 34.8 | 44.0 | 21.1 | 1000.0 | | |
| Sex Ratio | 918 | 915 | 876 | 908 | | |

Source: Census, 2011

Important Child Rights under the Constitution of India

The Constitution of India guarantees all children (0-18 years) certain rights, which include:

- Right to free and compulsory elementary education for all children in the 6–14 year age group (Article 21 A).
- Right to be protected from any hazardous employment till the age of 14 years (Article 24).
- Right to be protected from being abused and forced by economic necessity to enter occupations unsuited to their age or strength (Article 39(e)).
- Right to equal opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and guaranteed protection of childhood and youth against exploitation and against moral and material abandonment (Article 39 (f)).

1.2 Status of Child Development

In identifying the strategies for child development in general and the preparation of child budgets in particular, it is necessary to regularly monitor the progress in the field and to identify areas requiring special attention. In this context, Table 1.2 presents the status of children in Bihar and India in a comparative framework, using 2005-06 and 2015-16 as reference years. It may be noted here that these two reference years are nearly a decade apart. The chosen indicators in the table below cover four dimensions of child development—Survival; Health and Nutrition; Educational Development; and Protection.

Table 1.2: Selected Indicators for children in Bihar and India

| Indiantons | Bihar | | India | |
|---|-------|---------|---------|---------|
| Indicators | | 2015-16 | 2005-06 | 2015-16 |
| Survival | | | | |
| Life Expectancy at Birth (2002-06 & 2012-16) (years) | 64.4 | 68.7 | 64.7 | 68.7 |
| Infant Mortality Rate per 1000 (2005 and 2018) | 61 | 32 | 58 | 32 |
| Maternal Mortality Rate (2004-06 & 2014-16) | 312 | 165 | 254 | 130 |
| Health and Nutrition | | | | |
| Stunted children (%) under 5 years | 50.1 | 48.3 | 44.9 | 38.4 |
| Wasted children(%) under 5 years | 32.6 | 20.8 | 22.9 | 21.0 |
| Underweight children(%) under 5 years | 54.9 | 43.9 | 40.4 | 35.8 |
| Vaccination coverage(%) | 32.8 | 61.7 | 43.5 | 62.0 |
| Prevalence of total anemia in children(6-59 months)(%) | 87.4 | 63.5 | 78.9 | 58.6 |
| Educational Development | | | | |
| Literacy rate (2001 & 2011) | 47.00 | 61.80 | 64.84 | 72.99 |
| Literacy rate (7-18 years) (2001 & 2011) | 56.10 | 79.14 | 78.08 | 88.30 |
| Gross Enrolment Rate in Primary Classes (2006-07 and 2016-17) | 92.44 | 98.08 | 103.77 | 95.12 |
| Retention Rate at Primary Level (2006-07 and 2016-17) | 44.16 | 100 | 70.26 | 84.1 |
| PTR in Primary Classes (2006-07 and 2016-17) | 63 | 44 | 36 | 25 |
| Girls' toilet in Secondary & Higher-Secondary (2006-07 and 2016-17) (%) | 18.30 | 97.60 | 37.42 | 99.50 |
| Protection | | | | |
| Women aged 20-24 years married before age 18 years (%) | 69.0 | 42.5 | 47.4 | 26.8 |
| Awareness regarding CHILDLINE 1098 (%) 2018 | - | 29.8 | - | 29.5 |

Source: NFHS, Census, SRS, RGI, DISE

To begin with, one may consider the three indicators of survival — Life Expectancy at Birth, Infant Mortality Rate and Maternal Mortality Rate. It is satisfying to note that, with respect to all these indicators, there has been noticeable progress in both Bihar and India.

If one considers the status of children in terms of health and nutrition, unfortunately, the progress has been extremely limited or has worsened, particularly with respect to stunted, wasted and underweight children. One of the biggest factors for such poor indicators of child malnutrition is the high prevalence of malnutrition and anaemia among women of child-bearing age, reflecting the poor state of maternal health. Fortunately, the progress in terms of vaccination coverage and presence of anemia in children was substantial. However, it needs to be noted that, even for an easy-to-provide service such as vaccination, the coverage is barely two-thirds in both Bihar and India.

The educational needs of children are critical and, in this regard, the state has performed well, as indicated by the extent of enrolment and retention of children in primary classes, in both Bihar and India. One can also notice the impact of these expanded opportunities for primary education on the overall literacy rate, which had increased considerably between 2001 and 2011. It is also satisfying to note that the spread of literacy has been faster in Bihar during the decade of 2001-2011, reducing the gap between Bihar and India in terms of educational development. However, here it must be noted that the educational indicators in the table refer to only primary education, whereas upper-primary/secondary/higher secondary education are also part of children's (0-18 years) education. Because of high levels of drop-out in post-primary stages of education, the spread of secondary/higher education is low almost throughout the country, particularly in Bihar. In terms of learning outcomes, on average 52 percent of Class 5 students could correctly answer Mathematics questions while 57 percent could answer language questions at the primary level in Bihar according to the National Achievement Survey (2017). Correspondingly, only 45 percent and 58 percent Class 8 students could correctly answer questions on Mathematics and language, respectively.

Finally, Table 1.2 also presents information on two indicators of child development relating to the protection of children—'Percentage of women of age 20-24 years married before 18 years' and 'Percentage of children who are aware about Childline 1098'. As regards child marriage, there is substantial improvement both in Bihar and India. But, even after this improvement, it is observed that 42.5 percent of the girls in Bihar and 26.8 percent of them in India get married before attaining the prescribed

age of 18 years. This calls for continued efforts by the government and civil society to work closely with families, especially in areas where child marriage is more prevalent, to eradicate this social evil. The table does not provide comparative figures regarding awareness about CHILDLINE 1098. But as the figure for 2018 indicates the awareness about this important facility is extremely limited both in Bihar and India, at less than 30 percent.

1.3 Purpose of the Manual

Issues related to children usually receive less attention than they deserve and are given less priority in the state budget. Sometimes, even when adequate resources are allocated to child-related schemes, the State Government is seen to spend much less than what was budgeted. In this context, it is desirable for the line departments of the State Government, civil society organisations and other stakeholders to understand the budgetary process (including the allocation and expenditure on child-related programmes). An analysis of the budget enables them to identify effective advocacy strategies that lead to a higher level of child development. The present Child Budget Manual has been prepared from this perspective and has the following objectives:

- (a) Identify gaps in public spending on child development at the state/national level, based on a child-centred budget analysis;
- (b) Increase the capacities of the line departments of the State Government to participate in the budgeting process and assess the allocations based on outcomes;
- (c) Raise the awareness of the State Government officials and politicians about the value of public spending on children; and finally
- (d) Identify the sectors that demand higher budgetary allocations for child development and define steps to improve the quality of public spending.

1.4 Structure of Manual

Besides this introductory Chapter, the present Manual has two more chapters. In Chapter II, the Manual presents the overall budgeting process — the different funds of the State Government, important concepts related to budget preparation and the Budget Process and Calendar.

The details of the process of Child Budgeting are then presented in Chapter III, including the present size of the Child Budget in Bihar, the methodology for preparing the child budget and other issues. The chapter ends with some concluding remarks and suggestions.

O2 State Budget: Concept and Process

The annual exercise of budgeting refers to drafting of a statement about the estimated receipts and expenditure of the State Government in each financial year on different receipt/expenditure heads, which is laid before the State Legislature for approval before the commencement of the financial year. This statement is referred to as the Annual Financial Statement in Budget, as specified by Article 202 of the Indian Constitution. The estimates of expenditure show both the 'charged' and 'voted' items of expenditure separately. The part of the estimates that relate to charged expenditure on the State Government (which cannot be avoided, such as salary of current employees) is not submitted for the vote of the Legislative Assembly. Article 202 (3) of the Constitution specifies the categories of expenditure that can be charged to the State Government (Annexure I). In case of voted items of expenditure (which is not charged on the State Government), it is submitted to the Legislative Assembly in the form of 'Demand for Grants.' After a discussion, the Assembly can either assent (either fully or subject to a reduction) the demand or refuse it. However, all the estimates of expenditure, either charged or voted, are discussed in the Legislative Assembly.


2.1 Accounts of State Government

Under Article 150 of the Indian Constitution, the accounts of the State Government are to be kept in formats prescribed by the Comptroller and Auditor General (CAG) of India. The overall accounts are divided into three parts—Consolidated Fund (Article 266), Contingency Fund (Article 267) and Public Account (Article 266).

Consolidated Fund: As per the provisions of Article 266 of the Constitution, all revenues received by the State Government, all loans raised by it through the issue of treasury bills, loans or ways and means advance, and all money received by it as repayment of loans, are credited to the Consolidated Fund of the State Government. No money can be spent out of the Consolidated Fund, except with the approval of the State Legislature.

<u>Contingency Fund</u>: The Contingency Fund is in the nature of an imprest with a fixed corpus, which can be created by the State Legislature under Article 267 of the Constitution to meet unforeseen expenditure. However, the expenditure has to be subsequently authorized by the State Legislature and the expenditure would be recouped from the Consolidated Fund of the state. The transactions in the Contingency Fund are not accounted in the budget document division-wise.

<u>Public Account</u>: All other money received by or on behalf of the State Government is credited to the Public Account of the State, under Article 266(2) of the Constitution. No legislative authorization is required to withdraw any money from the Public Account. This is the account of debt incurred and discharged, and loan and advance made by the State Government to local funds, private parties and others, and later recovered from them. The Public Account comprises the following three divisions—(a) Unfunded Debt (State Provident Fund), (b) Deposits and Advances, and (c) Remittances. The accounts relating to Unfunded Debt (State Provident Fund) and to Deposits and Advances record two types of transactions: namely, transactions in respect of which the State Government acts as a banker receiving an amount that it repays afterwards and transactions relating to advances other than loans which are repayable. The Remittance account comprises merely of adjusting heads, and debits/credits to these heads are cleared eventually by adjustment under final heads. The details are explained in Chart 2.1.



2.2 Components of Consolidated Fund

The transactions relating to the Consolidated Fund are reported under two main components — Revenue Account and Capital Account.

Revenue Account: This is the account of the current receipts and expenditure of the State Government. The receipts are derived mainly from taxes and non-taxes (including share of the State Government in Union taxes), duties, fees for services rendered, fines and penalties, revenue from government estate (such as forests), other miscellaneous items, and Grants-in-Aid to the State Government from the Union Government.

<u>Capital Account</u>: This is the account of the receipts and expenditure of a capital nature. The receipts under Capital Account comprise amount raised through public debt of the State Government and recovery of loans/advances. The expenditure under Capital Account is divided into three parts—(a) Capital outlay (related to creation of assets, such as the construction of buildings and roads, irrigation projects, and electricity projects), (b) Public Debt (repayment of principal amount of loans) and (c) Loans and Advances (given by the State Government). The total expenditure under Capital Account is funded partly by capital receipts and the remaining part by surplus in the Revenue Account.

2.3 Types of Deficits

In budget documents, the State Government always presents the estimates of three categories of deficit — Revenue Deficit, Fiscal Deficit and Primary Deficit.

<u>Revenue Deficit</u>: This is the difference between revenue expenditure and revenue receipts of the State Government in a financial year.

Revenue Deficit = Revenue Expenditure – Revenue Receipts

Ideally, all State Governments are expected to generate a revenue surplus, implying a negative Revenue Deficit.

<u>Fiscal Deficit</u>: This refers to the difference between total expenditure of the State Government (excluding the repayment of loan) and total receipts (excluding borrowings).

Fiscal Deficit = Total Expenditure (excluding the repayment of loan) — Total expenditure (excluding borrowings)

The Fiscal Deficit denotes the net borrowings of the State Government to sustain its present level of expenditure, both on revenue and capital account.

<u>Primary Deficit</u>: This is the deficit obtained by subtracting interest payment from the Fiscal Deficit in a given financial year.

Primary Deficit = Fiscal Deficits – Interest Payments

The Primary Deficit corresponds to the net borrowing of the State Government required to meet total expenditure, excluding the interest payments. In other words, it is the net borrowing required, if there were no burden of history on the state finances.

2.4 Budget Figures

In the Budget document of any year, there are three types of figures—Budget Estimates, Revised Estimates and Actual Expenditure.

<u>Budget Estimate</u>: These estimates are the detailed estimates of receipts and expenditure for the ensuing financial year and the current year.

<u>Revised Estimates</u>: These estimates present the probable receipts and expenditure for a financial year, prepared sometime during the end of the year. These estimates refer to transactions already recorded and those anticipated during the reminder of the year. They are based on orders already issued or anticipated to be issued, or any other relevant facts that become known during the course of the financial year.

<u>Actual Figures:</u> This refer to the actual amount (receipt and expenditure) for a year and it is prepared by the Comptroller and Auditor General's office, based on accounts submitted by the State Government.

Towards preparing the Budget Estimates, the different departments are guided by two principal considerations—Medium-Term Expenditure Framework (MTEF) and Expenditure of Last three years.

Medium-Term Expenditure Framework (MTEF): The allocation of funds across different heads should be in consonance with strategic needs targets identified in the MTEF formulated for each department. In case a given department does not have a departmental MTEF, the concerned Budget Controlling Officer (BCO) should issue broad guidelines to the estimating officers with respect to the identified priority areas for expenditure and prescribed norms for the estimation of expenditure.

<u>Expenditure of Last three years</u>: The actual expenditure in the last three years, as also revised estimates for the current year, should be taken into consideration for preparing estimates for the ensuing year. The past figures should be used to identify

any noticeable tendency for the expenditure to rise or decline, any abnormal feature during past years, any recognizable regularity in movement of expenditure, and any special event likely to occur next year with the potential to increase expenditure substantially.

2.5 Role of Comptroller and Auditor General (CAG)

Based on the figures provided by the State Government, the office of the Comptroller and Auditor General (CAG) prepares the final Appropriation Accounts for each financial year, in accordance with the provisions of the Constitution and procedure laid down by the CAG of India. This Account includes—(a) Amount of grant sanctioned and spent under each head of the account given in the budget document, (b) Brief explanation of the important variations between the allotment and actual expenditure (either charged or voted), and (c) Expenditure incurred under the Revenue and Capital Accounts. Under Article 151(2) of the Constitution, the CAG submits the Appropriation Account and the Audit Report of the State Government to the Governor to be laid before the State Legislature.

The above exercise is conducted as per the Appropriation Act, which provides for the allocation of all money (out of the Consolidated Fund of the State Government) to meet grants so made by the State Assembly for various services under different heads of expenditure.

Excess Grant: In some cases, after closure of the financial year, the Appropriation Account may reveal that the actual expenditure under a grant was in excess of the sanctioned amount under that specific grant. In such cases, based on the recommendations of the Public Accounts Committee, the excess expenditure should be regularized, by presenting it to the Legislative Assembly, as required under Article 205(1)(b) of the Constitution.

2.6 Finance Commissions

The Constitution of India provides for both the Central and State Finance Commissions to prepare the recommendations for the transfer of financial resources from one level of government to the next level. These Finance Commissions are constituted every five years.

<u>Central Finance Commission</u>: As per Article 280 of the Constitution, the Central Finance Commission is constituted by the President of India every fifth year. The qualifications, power and procedures of the Commission are regulated by the

Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951. The Commission makes recommendations to the President in respect of—(i) Distribution of net proceeds of taxes to be shared between the Centre and States, (ii) Principles that should govern the Grants-in-Aid by the Centre to the States out of the Consolidated Fund of India, (iii) Measures needed to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the recommendations by the State Finance Commission, and (iv) Any other matter referred to it by the President in the interest of the sound finance.

State Finance Commission: The State Finance Commission is constituted under Article 243(1) and 243(y) of the Constitution every fifth year by the Governor of the State. The responsibilities of the State Finance Commission are—(i) Review the financial position of rural and urban local bodies in the State, (ii) Make recommendations to the Governor regarding the devolution of financial resources from the State Government to local bodies, and (iii) Make recommendations about inter-se distribution of shares of rural and urban local bodies, bearing in mind both efficiency and equity.

2.7 Scheme Expenditure

At present there are three types of schemes under various departments—State Schemes, Central Sector Schemes and Centrally-Sponsored Schemes (CSS).

<u>State Schemes</u>: These schemes are related to those sectors that are under the State List, and they are funded entirely by the State Government like Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana.

<u>Central Sector Schemes</u>: These schemes are related to the sectors that are within the Union List and they are wholly financed by the Central Government. The funds received under such schemes may be either treasury mode or agency mode(see section 2.8), depending on the scheme design and designated implementing agency at the State Level like Cyber Crime Prevention Against Women and Children.

<u>Centrally-Sponsored Schemes (CSS)</u>: These schemes refer to those which are jointly financed by the Central and State Governments, as per funding patterns agreed upon by the two parties. These schemes are generally designed and monitored by the Ministries of the Union Government, with corresponding State Government Departments responsible for the implementation of the schemes at the field level. Presently, most CSS follow the funding pattern of 60:40, between the Central and State Governments like Samagra Shiksha Abhiyan.

2.8 Budget Cycle/Process

The Budget Cycle (Annexure II) normally starts towards the first week of September of the current year and lasts till April of the next financial year. The Budget Calendar for the Government of Bihar is given below:

Table 2.1: Budget Calendar for Government of Bihar

| Time | Agenda | | |
|---|--|--|--|
| July to August | First Supplementary Statement of Expenditure depending upon Assembly Programme (Appropriation Act related to first supplementary sent to all controlling officer/department and Accountant General.) | | |
| 1st week of September | Issue of Budget circular with blank formats to the Controlling Officers of all Administrative Departments by the Finance Department | | |
| October to November | Controlling officers to send budget estimates for ensuing year to the Accountant General, Administrative Department and Finance Department | | |
| November to December | Discussion on chaget estimate proposed by controlling effect in Timatee | | |
| November to January Second Supplementary Statement depending upon Assembly (Appropriation Act related to second supplementary sent to all officer/department and Accountant General) | | | |
| February to March | Surrender of savings by the Controlling Officers to the Finance Department. | | |
| February to March | Annual Financial Statement presentation and other Budget books and third Supplementary Statement of Expenditure to be laid before Legislature. (Appropriation Act related to main Budget and third supplementary sent to all Controlling Officer/Department and AccoCuntant General) | | |
| February to April | Distribution of Budget books by Finance Department to all Departments and Accountant General. | | |

Source: Budget Manual, Bihar

Budget Monitoring Ensuring budget Cycle

Budget Cycle

Budget Cycle

Budget Execution Distribution and Utilization of budgetary allocations

External Audit: CAG Monitiring

Budget Controlling Officer (BCO): In the entire budgeting process, the BCO plays a crucial role as he or she is the authority who is responsible for the control of expenditure and receipt for any head of account. The officer is empowered by the Administrative and Finance Department to release budgetary grants to various officers. A four-digit code is assigned to each BCO in the state administration. These codes are fed into the Comprehensive Financial Management System (CFMS), which helps in monitoring the disbursement of budget allocations by BCOs throughout the financial year.

<u>Establishment and Committed Expenditure</u>: Apart from the Scheme Expenditure (Section 2.7), the budget statement also includes establishment and committed expenditure, which is a general term used to cover all expenditures of the State Government. It includes both developmental and non-developmental expenditure. The part of expenditure that directly or indirectly contributes to the development is development expenditure like maintenance of education and public health infrastructure e.g. schools, hospitals, etc. Similarly, the expenditure that may not directly contribute to economic development is known as non-development expenditure like expenses on maintenance of defence establishments, administrative expenditure, etc. Out of the total Establishment and Committed Expenditure, the following categories of expenditure are non-plan in nature – (a) Expenditures that are obligatory in nature (e.g., interest payments, pensionary charges, and internal security), (b) Expenditures on assets created in the past, and (c) Expenditures on continuing services and activities at levels already reached in a plan period (e.g., continuing research projects and operating expenses of power stations).

<u>Supplementary Grants</u>: These funds are required in addition to the total grants included in the annual budget statement for the current financial year. The approval for such grants has to be obtained in the manner prescribed in Article 205(1) (a) of the Constitution, and it has to pass through the same stages of legislative procedure as for the original budget proposal.

<u>Vote on Account</u>: Under Article 206 of the Constitution, the Legislative Assembly of a State is vested with power to sanction withdrawal of certain funds from the Consolidated Fund even before the voting on demands for grants and passing of the Appropriation Act takes place (Articles 203 and 204 of the constitutions). Such grants made in advance by the Legislative Assembly are referred as Vote on Account.

Off-Budget Expenditure: This refers to expenditure related to activities undertaken by the State Government that is not routed through the Consolidated Fund of the State. As such, these expenditures are outside the budgetary process and are not accounted for in the budget document. Some examples of Off-Budget Expenditure include Central assistance routed directly to State Government agencies under various schemes, expenditure by State department/agencies from user charges collected, and the cost of assets provided by the State Government to private contractors under Public-Private-Partnership agreements.

2.9 Present Accounting Classification¹

The current accounting classification for presenting receipts and expenditure of the Government in the Budget consists of a number of tiers. In the Budget, expenditure of the Government is classified under three sectors/heads. These are further subdivided into sub-sectors as follows:

Table 2.2: Three Types of the Government's Expenditure

| General Services | Social Services | Economic Services |
|--|--|---|
| a. Organs of State b. Fiscal Services c. Interest Payments and Servicing of Debt d. Administrative Services e. Pensions and Miscellaneous General Services f. Other Fiscal Services | a. Education, Sports, Art and Culture b. Health and Family Welfare c. Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development d. Information and Publicity e. Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes f. Labour and Labour Welfare g. Social Welfare and Nutrition h. Others | a. Agriculture and Allied Activities b. Rural Development c. Irrigation and Flood Control d. Energy e. Industry and Minerals f. Transport. g. Science, Technology and Environment h. General Economic Services |

Source: Budget Manual, Bihar


Following the sectors and sub-sectors, the current accounting classification consists of six tiers and these are as follows.

(a) Major Heads (First Tier): Major Heads are prescribed under each sector/sub-sector. They broadly indicate, within each sector/sub-sector, a distinct function of the Government, such as education, medical and public health, agriculture, and rural development.

¹Section 2.9 on Present Accounting Classification is based on Rule 9 of the *Bihar Budget Manual 2016* (pp. 51-52).

- (b) Sub-Major Heads (Second Tier): Major Heads are sub-divided into Sub-Major Heads. Sub-Major Heads are opened under each Major Head to record those transactions which are of a distinct nature and are of sufficient importance to be recorded separately, but at the same time allied to the functions of the Major Head. For example under the Major Head 'Education' the sub-major heads include Elementary Education, Secondary Education, and University and Higher Education.
- (c) Minor Heads (Third Tier): Sub-Major Heads are further divided into minor heads. Minor heads correspond to programmes, or broad groups of programmes, undertaken by a given department. For example, under the sub-major head Elementary Education, the minor administration heads include direction and administration, government primary schools, and monitoring/inspection.
- (d) Sub-Heads (Fourth Tier): Sub-heads appear under Group Sub-Heads (GSH) that indicate schemes undertaken under a programme represented by minor heads. GSH represents a similar group of schemes which are implemented under a separate funding pattern and is represented by a two digit code. Basically, the tiers below the Minor Head are under the control of State Government and hence Group Sub-Head falls under the purview of state. In the case of non-plan expenditure, sub-heads also represent the administrative set up of the department. For example, under the Minor Head Hospitals and Dispensaries, District Headquarters Hospital is a sub-head.
- (e) Object Heads (Fifth Tier): Sub-heads are further divided into Object Heads, which denote specific objects of expenditure such as salaries, travel expenses, and office expenses.
- (f) Detailed Heads (Sixth Tier): The Object Heads are further divided into Detailed heads, which are the lowest units of classification of accounts. They denote the break-up of detailed heads of account, wherever necessary, for the purpose of expenditure control and monitoring. For example, the salary expenditure is broken down into pay, allowances, house rent allowance, dearness allowance, medical reimbursement, encashment of earned leave and leave travel concession. As this level of classification was not originally contemplated by the C&AG, the Accountant General (AG) of the state normally does not keep accounts to this level. The accounts are maintained by the AG till the detailed sub-head level.

Chart 2.3: Coding Pattern







Chart 2.4: Example of Coding Pattern



2.10 Estimates of Expenditure

Procedure for Opening New Heads:

The above accounting classification prescribed by the CAG is common to all states and common to the Revenue Account, Capital Account and the Loan Account of the Consolidated Fund of the state, transactions under the Contingency Fund and Public Account. The classification of Government activities into three sectors, namely, General Services, Social Services and Economic Services has been assigned the alphabets, A, B, and C, respectively. As described in the Bihar Budget Manual

2016, a numerical code is assigned to each major head in the Consolidated Fund, Contingency Fund and the Public Account. This is a four-digit Arabic numeral and the first digit indicates whether a major head pertains to the receipt section or expenditure section of the revenue account, capital account, loan account or the Public Account. The last three digits of the code represent the Major Heads, irrespective of whether the Major Head is in the revenue section or expenditure section. Thus, the three-digit numerical code of the Major Head remains the same in all the accounts, revenue, capital or loans and advances.

The numerical blocks assigned to receipt and expenditure major heads are as follows:

Table 2.3: Major Heads of Receipt and Expenditure

| Sl. No. | Classification Head | Major Heads |
|------------|---|----------------|
| 1. | Revenue Account Receipt | 0005-1999 |
| 2. | Revenue Account Expenditure | 2011-3999 |
| 3. | Capital Receipt | 4000 |
| 4. | Capital Outlay | 4011-5999 |
| 5. | Public Debt | 6001-6010 |
| 6. | Loans and Advances, Inter-state settlements, Transfers to the Contingency Fund | 6075-7999 |
| 7. | Contingency Fund | 8000 |
| 8. | Public Account | 8001-8999 |

Source: Budget Manual, Bihar

Thus, a four-digit code has been allotted to each Major Head, with the first digit indicating whether a major head is a receipt head, revenue expenditure head, capital expenditure head, loans and advances head, or whether it pertains to the Public Account. If the first digit is '0' or '1', the head of account will represent revenue receipt. If the first digit is '2' or '3' it represents revenue expenditure head. and if the first digit is '4' or '5', it represents capital expenditure. The first digit '6' or '7' represents loans and advances head, and '8' or '9' represents Contingency Fund and Public Account.

The mode of operation of the above accounting classification becomes clear by way of an illustration. The accounting classification as applied to the Major Head, 'Education, Sports, Art and Culture,' in the Section 'Social and Community Services' and another classification applied to the major head 'Social Security and Welfare' also under the same section are as follows:

Table 2.4: Budget Classification

| Receipt Major Head (Revenue Account) | Expenditure Major Head (Revenue Account) | Capital Major Head | Loan Major Head | |
|---|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 0202- Education, Sports, Art and Culture | 2202- General Education | 4202- Capital outlay on Education, Sports, Art and Culture | 6202- Loans for Education, Sports, Art and Culture | |
| 0235 Social Security and Welfare | 2235- Social Security & Welfare | 4235- Capital Outlay on Social Security and Welfare | 6235- Loans for Social Security and Welfare | |

Source : Budget Manual, Bihar

03 Understanding The Child Budget

The United Nations passed the Convention on the Rights of the Child in 1989, which was ratified by India. In 2016, United Nation also formulated the General Comment No. 19 on Public Budgeting for the Realization of Children's Rights. This document (General Comments No. 19) provides detailed guidelines to states on their legal obligation to invest in children. Among others, it mentions that there should be open, inclusive and accountable resource mobilization, budget allocation and spending for realization of child rights. The state must not discriminate against any child and should also regularly ensure that children participate in budget decisions, allowing children to participate in those issues that concern them. The plans and budget should not only prioritize children's needs but should also ensure its implementation, following the principles of non-discrimination and equity.

With a substantial child population (39 percent of total population), India has accorded high priority to health, education and nutrition of children through a number of Centrally-Sponsored Schemes and other flagship programmes during the period of Millennium Development Goals (MDG), leading to significant progress in child development. This trend is also true for Bihar, where 48 percent of the population are children.

The Sustainable Development Goals (SDG) have set health, education, nutrition and gender equity as some of its key targets. These goals can be fulfilled only through careful planning and adequate resource allocation. While the child population is growing both in Bihar and in India overall, the size of the child budget has not grown substantially. In the budget process, issues of child welfare and protection have remained particularly neglected. The budget for child protection is largely for victims of child abuse and for aspects like strengthening community-based structures (such as Child Protection Committees) to generate awareness. Even for health and education, the budget allocation is not adequate to ensure universal access to and delivery of quality services. Another important aspect of the child budget is expenditure versus allocation. Efficient implementation and result-based management are two areas which together can improve expenditure against allocation. Quite often, lack of human resources, a flawed implementation framework, and lack of convergence are the challenges that hamper the translation of schemes into action and results. Further, the rights of children are inter-woven

and, as such, only a well-nourished and healthy child enjoys access to education and benefits from the learning process. If nutrition and protection rights are not ensured, then other sectors (even when they are adequately funded, such as primary education) will not yield desired results. One should, therefore, realise that a holistic approach is needed to achieve the targets and outcomes of child welfare through budgetary allocations and efficient expenditures.

3.1 Present Status

The process of formulating child budgets started in Bihar in 2013-14. Bihar, Assam and Kerala were the first three states to prepare a child budget along with the Union Government, and now Karnataka and Maharashtra have also joined the list in 2020. Till 2017-18, only eight departments were reporting their allocation and expenditure in Bihar's child budget statement. Since 2020-21, the format has been changed and now 11 departments are reporting their expenses in the child budget. The numbers of reporting line departments are expected to rise in the coming years. Table 3.1 below shows that there has been a continuous increase in the allocation and expenditure for children in the past nine years. Between 2013-14 and 2019-20, the overall expenditure for children increased from Rs. 7826 crore in 2013-14 to Rs. 27,640 crore in 2019-20, registering an annual growth of 22.7 percent. In the same way, the allocation between 2013-14 to 2021-22 increased from Rs. 7178 crore to Rs. 38,864 crore, registering a growth of 21.6 percent. However, the utilisation percentage fluctuated over the years between 76.7 percent (2019-20) to 122.0 (2018-19).

Table 3.1: Total Allocation and Expenditure of Child Budget (2013-14 to 2021-22)

| Year | Total Allocation (Rs. Lakh) | Total Expenditure (Rs. Lakh) | Utilisation (%) |
|---------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 2013-14 | 7178 | 7826 | 109.0 |
| 2014-15 | 14225 | 11748 | 82.6 |
| 2015-16 | 15968 | 14951 | 93.6 |
| 2016-17 | 15149 | 16638 | 109.8 |
| 2017-18 | 18420 | 17530 | 95.2 |
| 2018-19 | 23402 | 28553 | 122.0 |
| 2019-20 | 36051 | 27640 | 76.7 |
| 2020-21 | 37258 | _ | _ |
| 2021-22 | 38864 | _ | _ |
| CAGR | 21.6 | 22.7 | |

Source: Department of Finance, GoB

3.2 How to Undertake Child Budgeting?

Child budgeting is a system that allocates fund to implement programmes and policies related to child welfare. The aim of this publication is to draft a simple, practical guide for the implementation of child budgeting. There is no simple or one universally-applicable tool for child budgeting. What emerges from the literature is the willingness to develop a methodology, based on a commitment to promote transparency in the system. Those involved in child budgeting require experience and understanding in dealing with issues relevant to children. The foundational elements discussed here could be, and in many cases have been, dealt within other handbooks and guidance materials also. The process of child budgeting can be broken up in to three stages:

- (i) Analysis of the budget from a child's (0-18 years) perspective.
- (ii) Mapping of the child budget on the basis of different child-focused schemes.
- (iii) Mainstreaming child as a category of analysis in the budgetary processes.




Chart 3.1: Child Budgeting Process

The format for Child Budget is attached with the main budget format and communicated with guidelines to all estimating officers of the line departments. The Child Budget format requires estimating officers to capture allocations made for each scheme as per the Budget Estimates of the ensuing year, Revised Estimates of the current year and Actual Expenditure incurred in the previous year. Additionally, for each scheme, the format requires listing the status of identified performance indicators in the previous year and the targets set for the ensuing year. Similarly, the format requires expenditure for each scheme to be further broken down separately into detailed components.

The pattern followed for collecting data is the same as that for the main budget, covering only schemes that directly benefit the child. These schemes are compiled together department-wise in the Child Budget document. The scope of child budgeting is to influence planning and budgeting of all policies, projects, programmes and schemes undertaken by the Government from a child rights perspective. It further recognizes the entry point for newer interventions related to children. The justification for the exercise is to judge the commitments of the Government through a budget for children, as it is one of the key initial steps in the roadmap to improve the well being of children. Additionally, this budget document also acts as essential literature and mechanism for monitoring progress on child welfare. Finally, the Child Budget document is presented before the Legislative Assembly by the Government of Bihar as a separate document.

3.3 Methodology

The methodology adopted for the preparation of child budgets is based on the analysis of various demand documents of child-centered departments, or child-centered schemes of various departments. From the demand documents, child-centric schemes and sub-schemes are consolidated to form the Child Budget document. Accordingly, the allocations and expenditure details are incorporated for the identified child-centric schemes, sub-schemes and programmes of both Establishment and Committed Expenditure and Scheme Expenditures. To track exact allocation for children, budget allocations of only schemes and programmes that have a direct impact on children are considered.

The National Policy for Children (2013) has classified the public expenditure on children into four important areas, which are: (1) Child survival, health and nutrition, (2) Education and development, (3) Child protection, and (4) Child participation. The child-centric schemes and programmes of Bihar are mainly based on these priority sectors.

- (a) <u>Health:</u> Schemes / programmes that ensure equitable access to comprehensive and essential preventive, promotive, curative and rehabilitative health care of the highest standard.
- (b) <u>Education</u>: Schemes/programmes that secure the right of every child to education and learning, including for children with special needs.
- (c) <u>Protection</u>: Schemes / programmes that create a caring, protective and safe environment for all children, to reduce their vulnerability in all situations and to keep them safe at all places.

(d) <u>Participation:</u> Schemes / programmes that ensure opportunity for children to participate in decision-making processes, through different platforms such as Mina Manch, Bal Sansad and Bal Panchayat, among others. The objective of such programmes is to empower children to the extent that they can understand their rights and have say in policy frameworks.




Chart 3.2 : Stages of Child Development and Related Challenges

Chart 3.3: Steps Involved in Child Budgeting

Step-1

A separate letter and budget format of the Child Budget is attached with the main budget format. The format requires information on actuals of the last year, budget estimate of current and ensuing years, and revised estimate of the current year (Annexures 3 to 5).



Step-2

Accordingly, the child-centric schemes are identified and segregated from the demand documents.



Step-3

The allocations details are included for each specific scheme and sub-scheme. Besides, the fund allocated to fulfil the rights of the children in the areas of Development, Health, Education and Protection are examined.



Step-4

Only schemes that have a direct impact and budget allocations for children are considered and included in the Child Budget.



Step-5

The schemes are divided into two parts: State Scheme and Centrally-Sponsored Schemes (CSS) or Central Sector Schemes.

Budget details are given in two parts: Establishment and Committed Expenditure and Scheme Expenditure

Separate information is also given for externally-aided projects. PFMS Code is also given for CSS.

Presently, the Child Budget document gives information of 11 Line Departments (Art, Culture and Youth, BC and MBC Welfare, Social Welfare, SC and ST Welfare, Health, Labour Resources, Public Health and Engineering, Minorities Welfare, Environment, Forest & Climate Change, Education, and Home). These departments devote a sizeable part of their funds towards child development.




Chart 3.4: Line Departments included in Bihar's Child Budget

Note: Figures in the parenthesis represent number of schemes included in the Child Budget for the related Line Department

The officials in the State Government specifically responsible for preparation of the Child Budget are the Budget Officers (Finance Department) and Nodal Officers of different departments.

<u>Budget Officer</u>: The Budget Officer is responsible for compiling the information for Child Budget that is sent by different departments. It is the responsibility of the officer to ensure that the information collected conforms to the prescribed format and includes all details as per the requirement of the Child Budget document.

<u>Nodal Officers</u>: The Nodal Officer of each line department has the responsibility to co-ordinate between the line department and the Finance Department. They also check whether the information provided by the line department is complete and presented in the prescribed format.

3.4 Participatory Budgeting

Participatory Budgeting (PB) is broadly defined as a process through which people (through CSOs and other development partners) directly participate in the budget formulation, decision-making, and monitoring of budget execution at various levels of governance, from local to national. Through participatory budgeting, children, other partners and CSOs can actively take part in the identification, discussion, and prioritization of development initiatives. Participatory budgeting brings diverse people together, supports community cohesion and augments transparency and accountability in public spending. It also improves responsiveness of budgets to issues currently important for children. The State Government follows the practice of holding a pre-budget meeting with concerned officers and representatives of all the involved line departments before starting the budgeting exercise. This meeting offers an opportunity for nodal and budgeting officers of each line department that reports a statement for the Child Budget to gain clarity on the process, offer suggestions, and mutually decide on the steps to be followed, thus making the budget cycle participatory and transparent (Annexure 5).

3.5 Suggestions

Over the years, the quality of the Child Budget document prepared by the Government of Bihar has improved, thanks to a number of methodological modifications like (i) inclusion of actuals for the previous year, (ii) more clarification on budget code, (iii) classification of budget into state scheme, centrally sponsored and central sector scheme and establishment and committed expenditure, and (iv) a brief description of all the schemes included in the document etc. However, for further improvement in its quality, the State Government could consider the following two suggestions:

(a) Introduction of Minor Heads for Children: In the budgeting process, Minor Head means a head subordinate to a Major Head or Sub-Major Head, representing a specific programme of a particular department. Sub-Head means a head subordinate to a Minor Head. Each Minor Head has been allotted a three-digit code, which is allotted by Controller General of Accounts (CGA). For example, the schemes meant for Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) already have devoted minor heads, 789 and 796,respectively. Similarly, a Minor Head could also be introduced for schemes that are meant for children, making it easier to identify them in the budget.

(b) <u>Planning of Budget Based on SDGs</u>: Both Central and State Governments respond to the Sustainable Development Goals (SDG) in one way or another. Several aspects of health, poverty, education, security, environment, governance, and economic development are addressed in the national policy, planning and budgeting. If the budgeting process is synchronized with the SDGs, it will make the budgeting system more comprehensive, structured, and measurable. The SDGs also aim to help states improve cooperation between the line departments and therefore help them design more coherent public policies. Child Budgets that are linked to SDGs are thus desirable in order to streamline more cohesive policies and track their outcomes.

Annexure

Annexure I: List of Charged Expenditure

The expenses that fall under charged expenditure include the following:

- Emoluments and allowances of the Governor and other expenditure relating to his office.
- Salaries and allowances of the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly.
- Debt charges for which the State is liable, including interest, sinking fund charges and redemption charges, and other expenditure relating to the raising of loans and the service and redemption of debt.
- Expenditure in respect of the salaries and allowances of the Judges of the High Court
- Any sums required to satisfy any judgment, decree or award of any court or arbitral tribunal.
- Any expenditure declared by the Constitution or by the Legislative Assembly of the State by law to be so charged.
- Administrative expenses of the High Court including all Salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the officers and servants of the Court.
- Adjustments in respect of expenses of Courts or Commissions and pensions under Article 290 of the Constitution.
- Expenses of State Public Service Commission including any salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the members and the staff of the Commission.

For ease in identification, sums relating to charged expenditure are usually printed in italics in Demands for Grants.

Annexure II : Budget Cycle

| Preliminary estimation of resources to determine affordable level of government expenditure | Approval and grant of requests for reappropriations submitted by departments | Intra-year review of revenue and receipts |
|---|--|--|
| Determination of annual plan expenditure ceilings in coordination with State Planning Commission | Consolidation and issue of Supplementary Budget | Intra-year review of expenditure carried out |
| Issue of Budget Circular to all departments inviting estimates of annual expenditure | | Monitoring of achieve- ment of gender and outcome budget targets |
| Detailed estimation of state's financial resources based on estimates of receipts received from re- venue earning departments | | |
| Scrutiny, fine-tuning and consolidation of departmental estimates to ensure that they fit within available resource envelope | | |
| Preparation of budget documents for presentation to the Vidhan Sabha by the Finance Minister | | |

Annexure III: B M Form- 21

B M Form- 21

Budget Estimates for Child Welfare Scheme: Department Wise Schedule Name of Department:

(Rs. in Lakh)

| S1. | Bill Code | Name of Scheme | Actuals 2020-21 | Budget Estimates 2021-22 | Revised Estimates 2021-22 | Budget Estimates 2022-23 | Nature of Scheme Expend- iture | Remarks (Brief Information About Scheme) |
|-----|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |

Signature and Designation of Controlling Officer

Date

Annexure IV : Child Budget Formats

Table 1. Child Budget (Total)

| Departments | Detail Code | 2020-21 (Actuals) | 2021-22 BE | 2021-22 RE | 2022-23 BE |
|------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Education | | | | | |
| Social Welfare | | | | | |
| Health | | | | | |
| Rural Development | | | | | |
| Public Health & Engineering | | | | | |
| Minority Welfare | | | | | |
| BC / MBC Welfare | | | | | |
| SC / ST Welfare | | | | | |
| Art, Culture & Youth Affairs | | | | | |
| Labour Resources | | | | | |
| Environment, Forest & | | | | | |
| Climate Change | | | | | |
| Disaster Management | | | | | |
| Panchayati Raj | | | | | |
| Planning and Development | | | | | |
| Home | | | | | |
| Finance | | | | | |

 Table 2. Child Budget (Establishment and Committed Expenditure)

| | Child Budget (Establishment and Committed Expenditure) | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|---------|---------|---------|--|--|
| Departments | Detail | 2020-21 | 2021-22 | 2021-22 | 2022-23 | | |
| | Code | (Actuals) | BE | RE | BE | | |
| Education | | | | | | | |
| Social Welfare | | | | | | | |
| Health | | | | | | | |
| Rural Development | | | | | | | |
| Public Health & Engineering | | | | | | | |
| Minority Welfare | | | | | | | |
| BC / MBC Welfare | | | | | | | |
| SC / ST Welfare | | | | | | | |
| Art, Culture & Youth Affairs | | | | | | | |
| Labour Resources | | | | | | | |
| Environment, Forest & | | | | | | | |
| Climate Change | | | | | | | |
| Disaster Management | | | | | | | |
| Panchayati Raj | | | | | | | |
| Planning and Development | | | | | | | |
| Home | | | | | | | |
| Finance | | | | | | | |

Table 3. Child Budget (State Schemes)

| | Child Budget (State Schemes) | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| Departments | Detail Code | 2020-21 (Actuals) | 2021-22 BE | 2021-22 RE | 2022-23 BE | | |
| Education | | | | | | | |
| Social Welfare | | | | | | | |
| Health | | | | | | | |
| Rural Development | | | | | | | |
| Public Health & Engineering | | | | | | | |
| Minority Welfare | | | | | | | |
| BC / MBC Welfare | | | | | | | |
| SC / ST Welfare | | | | | | | |
| Art, Culture & Youth Affairs | | | | | | | |
| Labour Resources | | | | | | | |
| Environment, Forest & | | | | | | | |
| Climate Change | | | | | | | |
| Disaster Management | | | | | | | |
| Panchayati Raj | | | | | | | |
| Planning and Development | | | | | | | |
| Home | | | | | | | |
| Finance | | | | | | | |

Table 4. Child Budget (Centrally Sponsored Schemes/Central Sector Schemes)

| | Child Budget (Centrally Sponsored Schemes/Central Sector Schemes) | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| Departments | Detail Code | 2020-21 (Actuals) | 2021-22 BE | 2021-22 RE | 2022-23 BE | | |
| Education | | | | | | | |
| Social Welfare | | | | | | | |
| Health | | | | | | | |
| Rural Development | | | | | | | |
| Public Health & Engineering | | | | | | | |
| Minority Welfare | | | | | | | |
| BC / MBC Welfare | | | | | | | |
| SC / ST Welfare | | | | | | | |
| Art, Culture & Youth Affairs | | | | | | | |
| Labour Resources | | | | | | | |
| Environment, Forest & | | | | | | | |
| Climate Change | | | | | | | |
| Disaster Management | | | | | | | |
| Panchayati Raj | | | | | | | |
| Planning and Development | | | | | | | |
| Home | | | | | | | |
| Finance | | | | | | | |

Annexure V

संचिका संख्या- ब-16/बी०एस०जी०-106/2019

/ वि0

बिहार सरकार वित्त विभाग

प्रेषक.

एस**० सिद्धार्थ,** प्रधान सचिव ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव

शिक्षा/समाज कल्याण/स्वास्थ्य/ग्रामीण विकास/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण /अल्पसंख्यक कल्याण/पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण/कला संस्कृति एवं युवा/श्रम संसाधन/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन/आपदा प्रबंधन/पंचायती राज/ योजना एवं विकास/गृह विभाग बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक:-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट पुस्तिका के निर्माण हेतु दिनांक-02.03.2020 को आयोजित बैठक के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020–21 के बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट पुस्तिका के निर्माण से संबंधित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श हेतु दिनांक–02.03.2020 को पूर्वाहन् 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई है ।

जक्त बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट पुस्तिका निर्माण हेतु बाल कल्याण से संबंधित बजट शीर्ष को चिह्नित करते हुए संलग्न विहित प्रपत्र में संक्षिप्त विवरणी के साथ सूचना अंकित करते हुए उक्त बैठक में भाग लेने हेतु संबंधित पदाधिकारी को निदेशित करने की कृपा की जाय । सुलभ प्रसंग हेतु बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट पुस्तिका से संबंधित एस0ओ0पी0 संलग्न है ।

अनुलग्नक:— यथोक्त

विश्वासभाजन

(एस० सिद्धार्थ) प्रधान सचिव

बिहार में बाल बजट निर्माण के लिए मैनुअल

वित्त विभाग बिहार सरकार

तकनीकी सहयोग यूनिसेफ फिल्ड ऑफिस बिहार एवं एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इन्स्टीच्यूट (आद्री)

अक्तूबर 2021



श्री तारिकशोर प्रसाद उप-मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री बिहार



संदेश

बिहार में बाल बजट निर्माण पर मैनुअल प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है, जिसे बिहार सरकार के वित्त विभाग, यूनीसेफ और एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) की सहयोगात्मक पहल के जिए तैयार किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि बिहार सरकार द्वारा बाल बजट निर्माण पर मैनुअल प्रकाशित किया गया है। बिहार की जनसंख्या में बच्चों का 48 प्रतिशत हिस्सा है और यह सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है कि समग्रता में विकास के लिए बच्चों को अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएं। इसलिए इस दायित्व को पूरा करने के लिए वर्ष 2013-14 से ही बाल बजट को बिहार विधान सभा में एक अलग बजट दस्तावेज के रूप में पेश किया जा रहा है। उसके बाद से यह बच्चों की जरूरतों के संबंध में लोक वित्त प्रबंधन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में सामने आया है।

आशा है कि यह मैनुअल बाल बजट निर्माण प्रक्रिया में लगे अधिकारियों के लिए ही नहीं, अन्य उपयोगकर्ताओं और हितधारकों के लिए भी व्यापक संदर्भ सामग्री का काम करेगा। मैं आश्वस्त हूं कि यह बजट मैनुअल बिहार में बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मूल्यवान दस्तावेज साबित होगा।

तारिकशोर प्रसाद



डॉ. एस. सिन्द्रार्थ अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, बिहार



संदेश

बिहार सरकार वर्ष 2013-14 से ही नियमित रूप से बाल बजट प्रस्तुत कर रही है। राज्य के भविष्य का प्रतिनिधित्व करने वाले बच्चों की विकास संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखकर यह अभ्यास किया गया है। बाल विकास के चार महत्वपूर्ण आयाम हैं - स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षण और सहभागिता। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने बाल कल्याण के इन आयामों को मजबूती देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन महत्वपूर्ण विकासमूलक प्रयासों की वित्तीय विवरणी बाल बजट दस्तावेज में प्रस्तुत होती है जो मुख्य बजट दस्तावेज का पूरक दस्तावेज होता है। बाल बजट के आंकड़ों से विकास विशेषज्ञों को बिहार में बाल विकास कार्यक्रमों की प्रकृति और रुझान का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। इस मैनुअल को बाल बजट तैयार करने वाले सरकारी अधिकारियों की सहायता करने के साथ-साथ इस काम में उनकी पेशेवर क्षमता बढ़ाने के लिए भी तैयार किया गया है।

डॉ. एस. सिद्धार्थ



नफीसा बिंते शफीक प्रधान बिहार यूनीसेफ कार्यालय, भारत



<u>संदेश</u>

बिहार में बाल बजट निर्माण हेतु मैनुअल के शुभारंभ के लिए मैं बिहार सरकार को शुभकामनाएं देती हूं। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि बिहार सरकार का वित्त विभाग यूनीसेफ और एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) के साथ मिलकर बाल बजट मैनुअल ला रहा है। चूंकि बच्चे हमारी भावी संपदा हैं इसलिए स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, जल एवं स्वच्छता और सामाजिक संरक्षण के साथ-साथ बाल संरक्षण और सहभागिता के क्षेत्र में पर्याप्त आबंटन की जरूरत है तािक कोई भी बच्चा विकसित होकर जवाबदेह और स्वस्थ नागरिक बन सके। मुझे पूरा विश्वास है कि यह मैनुअल बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया को समझने का इच्छित प्रयोजन पूरा करेगा और बाल बजट निर्माण संबंधी अपनी भूमिकाओं और जिम्मेवारियों के बारे में अधिकारियों को गहरी समझ उपलब्ध कराएगा। आशा है कि यह मैनुअल बाल बजट निर्माण की प्रक्रियाओं और अभ्यासों के मामले में सरकार के विभागीय अधिकारियों के लिए मार्गदर्शक का काम करेगा।

प्रत्येक बच्चे के अधिकारों को बरकरार रखना और सर्वोच्च कर्तव्यपालक के रूप में सरकार को सहयोग प्रदान करना यूनीसेफ का मैंडेट है। बाल बजट मैनुअल तैयार करने में संयुक्त सहयोग का हिस्सा होना हमारे लिए अत्यंत महत्व की बात है। जब कार्यक्रम के बजट सतर्क, क्रमिक प्रक्रिया के जिए विकसित किए जाते हैं, तो वे योजना निर्माण के लिए मूल्यवान साधन बन जाते हैं। मैं इस अवसर का उपयोग करके टीम को बधाई देती हूं और राज्य में बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिहाज से व्यापक और उपयोगी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों की अत्यंत सराहना करती हं।

नफीसा बिंते शफीक



डॉ. प्रभात पी. घोष सदस्य सचिव एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री)



संदेश

पूरी दुनिया में हुए अनुभवों और वर्षों की हिमायत के परिणामस्वरूप बाल कल्याण को अब मानव विकास की रणनीति का मुख्य घटक माना जाता है। बिहार और भारत के विशेष संदर्भ में यह भी सुविदित है कि बाल कल्याण को बढ़ावा देने में राज्य सरकारों को स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए सुनिर्मित कार्यक्रमों के जिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। आवश्यक है कि इन कार्यक्रमों का पर्याप्त वित्तपोषण भी हो। बाल कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का आकलन करने के लिए बाल बजट तैयार करना अत्यंत आवश्यक है जो मुख्य बजट दस्तावेज का पूरक हो। बाल बजट दस्तावेज से कुल बजट में बच्चों पर व्यय के हिस्से, बाल कल्याण के विभिन्न घटकों के सापेक्ष महत्व, और विभिन्न बाल विकास कार्यक्रमों की संचालनात्मक दक्षता की जानकारी ली जा सकती है। इस मैनुअल को बाल बजट तैयार करने में शामिल राज्य सरकार के अधिकारियों की पेशेवर क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। मुझे विश्वास है कि इस मैनुअल का उपयोग करके अधिकारिगण अब बाल बजट दस्तावेज की गुणवत्ता में सुधार ला सकेंगे।

डॉ. प्रभात पी. घोष

विषय सूची

01 परिचय

| 1,1 | बिहार में बच्चों की आबादी | 1 |
|-----|---------------------------|---|
| 1,2 | बाल विकास की स्थिति | 3 |
| 1,3 | इस मैनुअल का मकसद | 4 |
| 1,4 | मैनुअल का ढांचा | 5 |

02 राज्य बजट : अवधारणा और प्रक्रिया

| 2.1 | राज्य सरकार के लेखे | 6 |
|------|---------------------------------------|----|
| 2,2 | संचित निधि के घटक | 7 |
| 2,3 | घाटों के प्रकार | 8 |
| 2,4 | बजट के आंकड़े | 8 |
| 2,5 | नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की भूमिका | 9 |
| 2,6 | वित्त आयोग | 9 |
| 2.7 | योजना व्यय | 10 |
| 2.8 | बजट चक्र⁄ प्रक्रिया | 10 |
| 2.9 | लेखाकरण का वर्तमान वर्गीकरण | 13 |
| 2,10 | व्यय के अनुमान | 14 |

03 बाल बजट को समझना

| 3,1 | वर्तमान स्थिति | 18 |
|-----|-------------------------------|----|
| 3,2 | बाल बजट का निर्माण कैसे करें? | 18 |
| 3,3 | प्रविधि | 20 |
| 3,4 | सहभागी बजट निर्माण | 23 |
| 3,5 | सुझाव | 24 |

04 अनुलग्नक

शब्द-संग्रह

UNCRC (यूएनसीआरसी) : संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता

NPAC (एनपीएसी) : राष्ट्रीय बाल कार्ययोजना

UNICEF (यूएनआईसीईएफ) : संयुक्त राष्ट्र बाल कोष

ADRI (एडीआरआई) : एशियन डेवपलमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आदी)

CAG (सीएजी) : नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

CAGR (सीएजीआर) : वार्षिक चक्रवृद्धि दर

BCO (बीसीओ) : बजट नियंत्रण अधिकारी

ACA (एसीए) : अतिरिक्त केंद्रीय सहायता

CSS (सीएसएस) : केंद्र प्रायोजित योजनाएं

PPP (पीपीपी) : सार्वजनिक-निजी साझीदारी

MTEF (एमटीईएफ) : मध्याविध व्यय रूपरेखा

CGA (सीजीए) : लेखा महानियंत्रक

UN (यूएन) : संयुक्त राष्ट्र

PFMS (पीएफएमएस) : लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली

CFMS (सीएफएमएस) : व्यापक वित्त प्रबंधन प्रणाली

PB (पीबी) : सहभागी बजट निर्माण

CSO (सीएसओ) : नागरिक समाज संगठन

SC (एससी) : अनुसूचित जाति

ST (एसटी) : अनुसूचित जनजाति

BC (बीसी) : पिछड़ा वर्ग

MBC (एमबीसी) : अत्यंत पिछड़ा वर्ग

SDG (एसडीजी) : सतत विकास लक्ष्य

RE (आरई) : संशोधित अनुमान

BE (बीई) : बजट अनुमान

NFHS (एनएफएचएस) : राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण

SRS (एसआरएस) : प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली

RGI (आरजीआई) : भारत के महानिबंधक

DISE (डीआईएसई) : जिला शिक्षा सूचना प्रणाली

बिहार में बाल बजट निर्माण के लिए मैनुअल

01 परिचय

बच्चों के कल्याण के लिए समाज और राज्य का अत्यधिक ध्यान कई कारणों से जरूरी होता है। शुद्ध मानवीय चिंतन के आधार पर महसूस किया जाना चाहिए कि बच्चे को अगर स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सहायता नहीं दी जाय, तो उसके बचपन का आनंद छिन जाएगा और इस नुकसान की भरपाई कभी भी नहीं की जा सकती है। दूसरे, बच्चे किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं और उनके विकास पर ध्यान देना राज्य के लिए निहायत जरूरी होता है क्योंकि आज जो उनके लिए किया जाएगा वही भविष्य में राष्ट्र की प्रगति, वातावरण और अन्य संभावनाओं को निर्धारित करेगा। इस परिप्रेक्ष्य में, बच्चों की स्थिति को इस बात का अत्यंत संवेदनशील सूचक माना जाता है कि किसी देश की विकास प्रक्रिया कितनी अधिकार आधारित है। बच्चों के कल्याण के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन आबंटन करने के संबंध में राज्य के लिए तीसरा तर्काधार गरीबी निवारण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य के मामले में इसके स्वाभाविक निहिताओं से पैदा होता है। जब गरीब माता-पिता अपने बच्चों के लिए अपने संसाधनों से उचित स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ हों, तो उनके बच्चे वयस्क होने के बाद या उससे भी पहले श्रमशक्ति में कम मजदूरी वाले पेशों में अकुशल श्रमिक के बतौर शामिल हो जाते हैं जिससे गरीबी अगली पीढ़ी तक भी जारी रहती है। गरीबी के इस दुष्चक्र को तोड़ने का एकमात्र विकल्प राज्य द्वारा सभी बच्चों के लिए ऐसा सम्यक विकास सुनिश्चित करना है जो कुशल श्रमिक और सिक्रय नागरिक बना सके।

1.1 बिहार में बच्चों की आबादी

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता (यूएनसीआरसी) के अनुसार, जिसकी भारत ने भी पुष्टि की है, बच्चे को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक नहीं हुई हो। केंद्र सरकार के किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 में भी बच्चों की इसी परिभाषा को माना गया है। देश की लगभग 11 प्रतिशत आबादी वाले बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार (0 से 18 वर्ष के) बच्चों की जनसंख्या 4.98 करोड़ है और इस मामले में देश के 28 राज्यों में बिहार का दूसरा स्थान है (तालिका 1.1)। बिहार की कुल जनसंख्या में इस आबादी का 47. 8 प्रतिशत हिस्सा है। पूरे देश में बच्चों की कुल जनसंख्या 47.21 करोड़ है जो देश की कुल जनसंख्या का 39.0 प्रतिशत है। दूसरे शब्दों में, बिहार की कुल आबादी में बच्चों की आबादी का 47.8 प्रतिशत हिस्सा है जो पूरे भारत में उनके 39.0 प्रतिशत हिस्से से अधिक है। तालिका 1.1 में बिहार और भारत की जनसांख्या के बिनरण से संबंधित है। बिहार में बच्चों की कुल जनसंख्या में कम उम्र वाले आयु समूह (0 से 6, 7 से 14 और 15 से 18 वर्ष) के अनुसार बच्चों की जनसंख्या के वितरण से संबंधित है। बिहार में बच्चों की कुल जनसंख्या में कम उम्र वाले आयु समूह (0 से 6 और 7 से 14 वर्ष) का 83.8 प्रतिशत हिस्सा है जबिक पूरे देश में यह हिस्सा 78.8 प्रतिशत ही है। साथ ही, इस पर भी गौर करना जरूरी है कि बिहार में बाल लिंग अनुपात (महिलाएं प्रति 1000 पुरुष) 0 से 6 वर्ष आयु समूह के मामले में 935 है जो लगातार घटकर 15 से 18 वर्ष आयु समूह के लिए 774 रह गया है। संपूर्ण भारत के लिए 0 से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चों का जनमकालीन लिंग अनुपात 918 है जो 15 से 18 वर्ष आयु समूह के लिए लिंग अनुपात बेहतर है लेकिन 15 से 18 वर्ष अयु समूह के लिए लिंग अनुपात संपूर्ण भारत के मामले में बेहतर है।

तालिका 1.1 बिहार और भारत में बच्चों की जनसंख्या (2011)

| सूचक | 0 से 6 वर्ष | 7 से 14 वर्ष | 15 से 18 वर्ष | 0 से 18 वर्ष |
|--|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | बिहार | | | |
| बच्चों की संख्या (लाख) | 191.3 | 225.9 | 80.8 | 498.0 |
| बच्चों की जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत में | 18.4 | 21.7 | 7.8 | 47.8 |
| बच्चों की जनसंख्या का आयु समूह के आधार पर प्रतिशत वितरण | 38.4 | 45.4 | 16.2 | 100.0 |
| लिंग अनुपात | 935 | 913 | 774 | 897 |
| | भारत | | | |
| बच्चों की संख्या (लाख) | 1645.2 | 2071.3 | 996.7 | 4721.2 |
| बच्चों की जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत में | 13.6 | 17.2 | 8.2 | 39.0 |
| बच्चों की जनसंख्या का आयु समूह के आधार पर प्रतिशत वितरण | 34.8 | 44.0 | 21.1 | 1000.0 |
| लिंग अनुपात | 918 | 915 | 876 | 908 |

भारतीय संविधान के तहत महत्वपूर्ण बाल अधिकार

भारतीय संविधान में 0 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए कुछ अधिकारों की गारंटी की गई है जिनमें शामिल हैं :

- * 6 से 14 वर्ष आयु समूह में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21क)।
- * 14 वर्ष की उम्र तक जोखिम वाले किसी रोजगार से संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 24)।
- * दुर्व्यवहार से और आर्थिक जरूरतों से मजबूर होकर अपनी उम्र और ताकत के अनुपयुक्त पेशा अपनाने के लिए बाध्य होने से संरक्षण पाने का अधिकार (अनुच्छेद 39(च))।
- * बच्चों और किशोर-किशोरियों को स्वस्थ ढंग से और स्वतंत्र तथा सम्मानजनक स्थिति में समान अवसर और सुविधाएं पाने तथा शोषण और नैतिक एवं भौतिक परित्याग के विरुद्ध सुनिश्चित संरक्षण पाने का अधिकार (अनुच्छेद 39(छ))।

1.2 बाल विकास की स्थिति

आम तौर पर बाल विकास और खास तौर पर बाल बजट तैयार करने के लिहाज से रणनीतियों की पहचान करने के लिए क्षेत्र में प्रगति की निगरानी करने और विशेष ध्यान देने की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान करना जरूरी है। इस परिप्रेक्ष्य में, तालिका 1.2 में संदर्भ वर्ष के बतौर 2005-06 और 2015-16 का उपयोग करते हुए बिहार और भारत के बच्चों की स्थिति तुलनात्मक ढांचे में पेश की गई है। इस तालिका के चुनिंदे सूचकों में बाल विकास के चार आयामों को शामिल किया गया है – उत्तरजीविता; स्वास्थ्य एवं पोषण; शैक्षिक विकास; तथा संरक्षण।

तालिका 1.2 बिहार और भारत में बच्चों के लिए चुनिंदा सूचक

| | | • | | |
|--|---------|---|---------|---------|
| The | बिह | ार | भार | त |
| सूचक | 2005-06 | 2015-16 | 2005-06 | 2015-16 |
| उत्तरजीविता | | | | |
| जन्मकालीन जीवन संभाव्यता (2002-06 और 2012-16) (वर्ष) | 64.4 | 68.7 | 64.7 | 68.7 |
| शिशु मृत्यु दर प्रति हजार (2005 और 2018) | 61 | 32 | 58 | 32 |
| मातृ मृत्यु दर (2004-06 और 2014-16) | 312 | 165 | 254 | 130 |
| स्वास्थ्य एवं पोषण | | | | |
| 5 वर्ष तक के ठिगने बच्चों का प्रतिशत | 50.1 | 48.3 | 44.9 | 38.4 |
| 5 वर्ष तक के दुबले बच्चों का प्रतिशत | 32.6 | 20.8 | 22.9 | 21.0 |
| 5 वर्ष तक के कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत | 54.9 | 43.9 | 40.4 | 35.8 |
| टीकाकरण के आच्छादन का प्रतिशत | 32.8 | 61.7 | 43.5 | 62.0 |
| 6 से 59 महीने के बच्चों में पूर्ण रक्ताल्पता की व्याप्ति (%) | 87.4 | 63.5 | 78.9 | 58.6 |
| शैक्षिक विकास | | | | |
| साक्षरता दर (2001 और 2011) | 47.00 | 61.80 | 64.84 | 72.99 |
| साक्षरता दर 7 से 18 वर्ष (2001 और 2011) | 56.10 | 79.14 | 78.08 | 88.30 |
| प्राथमिक कक्षाओं में कुल नामांकन दर (2006-07 और 2016-17) | 92.44 | 98.08 | 103.77 | 95.12 |
| प्राथमिक स्तर पर प्रतिधारण दर (2006-07 और 2016-17) | 44.16 | 100 | 70.26 | 84.1 |
| प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (2006-07 और 2016-17) | 63 | 44 | 36 | 25 |
| माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बालिका शौचालय (2006-07 और 2016-17) (:) | 18.30 | 97.60 | 37.42 | 99.50 |
| संरक्षण | | | | |
| 18 वर्ष से कम उम्र में विवाहित 20-24 वर्ष की महिलाएं (%) | 69.0 | 42.5 | 47.4 | 26.8 |
| चाइल्डलाइन 1098 के बारे में जागरूकता (%) 2018 | - | 29.8 | - | 29.5 |
| | | | | |

स्रोत : राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जनगणना, प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली, भारत के महानिबंधक, डाइस

उत्तरजीविता के अन्तर्गत तीन सूचकों पर विचार किया जा सकता है – जन्मकालीन जीवन संभाव्यता, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर। संतोष की बात है कि इन तीनो सूचकों के मामले में बिहार और भारत, दोनो में उल्लेखनीय प्रगित हुई है। अगर स्वास्थ्य और पोषण के लिहाज से बच्चों की स्थिति पर विचार किया जाय, तो दुर्भाग्यवश, ठिगने, दुबले और कम वजन वाले बच्चों के मामले में प्रगित या तो बहुत सीमित रही है या उसमें गिरावट आई है। बच्चों के कुपोषण के ऐसे कमजोर सूचकों के लिए सबसे बड़े कारक प्रजनन की उम्र वाली महिलाओं में बड़े पैमाने पर कुपोषण और रक्ताल्पता होना है जो मातृ स्वास्थ्य की खराब स्थिति को दर्शाती है। सौभाग्यवश, टीकाकरण के आच्छादन और बच्चों में रक्ताल्पता की उपस्थित के मामले में अच्छी-खासी प्रगित हुई। लेकिन गौरतलब है कि टीकाकरण जैसी आसानी से दी जा सकने वाली

सेवाओं के मामले में भी आच्छादन बिहार और भारत, दोनो में महज दो-तिहाई है।

बच्चों की शैक्षिक जरूरतें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इस संबंध में राज्य ने अच्छा प्रदर्शन किया है जो बिहार और भारत, दोनों में प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन और प्रतिधारण (टिक रहने) के परिमाण से स्पष्ट होता है। समग्र साक्षरता दर पर प्राथमिक शिक्षा के लिए इन विस्तारित अवसरों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है जो 2001 से 2011 के बीच काफी बढ़ गया। यह देखना भी संतोषप्रद है कि 2001 से 2011 के बीच बिहार में साक्षरता का प्रसार अधिक तेजी से हुआ जिससे शैक्षिक विकास के लिहाज से बिहार और भारत के बीच फासला घट गया। लेकिन यहां गौरतलब है कि तालिका में वर्णित शैक्षिक सूचक सिर्फ प्राथमिक कक्षाओं की ओर संकेत करते हैं जबिक 0 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए उच्च-प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा भी बाल शिक्षा के ही अंग हैं। शिक्षा के प्राथमिक कक्षाओं के बाद के चरणों में उच्च स्तर पर छीजन के कारण माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शिक्षा का प्रसार लगभग पूरे देश में, खास कर बिहार में निम्न रहा है। शैक्षिक परिणामों के लिहाज से देखें, तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (2017) के अनुसार बिहार में प्राथमिक स्तर पर कक्षा 5 के 52 प्रतिशत विद्यार्थी ही गणित के प्रश्नों के और 57 प्रतिशत भाषा के प्रश्नों के सही–सही उत्तर दे सके। इसी तरह, कक्षा 8 के क्रमश: 45 प्रतिशत और 58 प्रतिशत विद्यार्थी ही गणित और भाषा के प्रश्नों के सही–सही उत्तर दे सके।

तालिका 1.2 में बच्चों के संरक्षण से संबंधित बाल विकास के दो सूचकों के बारे में भी जानकारी दी गई है। ये हैं - '18 वर्ष से पहले विवाहित 20 से 24 उम्र वाली महिलाओं का प्रतिशत' और 'चाइल्डलाइन 1098 के बारे में जागरूक बच्चों का प्रतिशत'। जहां तक बाल विवाह की बात है, तो इस मामले में बिहार और भारत, दोनो में काफी सुधार हुआ है। लेकिन इस सुधार के बावजूद देखा गया है कि बिहार में 42.5 प्रतिशत और भारत में 26.8 प्रतिशत लड़िकयों का विवाह 18 वर्ष की नियत आयु तक पहुंचने के पहले ही हो जाता है। यह इस सामाजिक बुराई की समाप्ति के लिए सरकार और नागरिक समाज द्वारा लगातार मिलकर परिवारों के साथ काम करने की जरूरत दर्शाता है, खास कर उन क्षेत्रों में जहां बाल विवाह का प्रचलन अधिक है। इस तालिका में चाइल्डलाइन 1098 के बारे में जागरूकता के संबंध में तुलनीय आंकड़े नहीं दिए गए हैं। लेकिन 2018 के आंकड़े दर्शाते हैं कि इस महत्वपूर्ण सुविधा के बारे में बिहार और भारत, दोनो में बहुत सीमित (30 प्रतिशत से भी कम) जानकारी है।

1.3 इस मैनुअल का मकसद

बच्चों से संबंधित मामलों पर सामान्यत: जरूरत से कम ध्यान जाता है और राज्य के बजट में उन्हें कम प्राथमिकता दी जाती है। कभी-कभी बच्चों से संबंधित योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन आबंटित किए भी जाते हैं, तो राज्य सरकार बजट की रकम से काफी कम खर्च करती दिखती है। इस संदर्भ में, राज्य सरकार के संबंधित विभागों, नागरिक समाज की संस्थाओं और अन्य हितधारकों को (बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों पर आबंटन और व्यय सिहत) बजट निर्माण की प्रक्रिया को समझने की जरूरत है। बजट के विश्लेषण से उन्हें पक्षपोषण की प्रभावी रणनीतियां चिन्हित करने में मदद मिलती है जिससे की बाल विकास का स्तर ऊंचा हो सके। वर्तमान बाल बजट मैनुअल को इसी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है और इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- (क) बाल-कोंद्रित बजट के विश्लेषण के आधार पर राज्य/ राष्ट्रीय स्तर पर बाल विकास पर सार्वजनिक व्यय में मौजूद किमयों की पहचान करना;
- (ख) बजट निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी और परिणामों पर आधारित आबंटनों के मूल्यांकन के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभागों की क्षमता बढ़ाना;
- (ग) बच्चों पर सार्वजनिक व्यय के महत्व के बारे में राज्य सरकार के अधिकारियों और राजनेताओं की जागरूकता बढ़ाना; तथा
- (घ) बाल विकास के लिए अधिक बजट आबंटन की मांग करने वाले क्षेत्रों की पहचान करना और सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम निर्धारित करना।

1.4 मैनुअल का ढांचा

इस आरंभिक अध्याय के अलावा वर्तमान मैनुअल में दो और अध्याय हैं। दूसरे अध्याय में बजट निर्माण की समग्र प्रक्रिया - राज्य सरकार की विभिन्न निधियां, बजट निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएं और बजट प्रक्रिया तथा कैलेंडर -प्रस्तुत की गई है।

बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया का ब्योरा अध्याय 3 में प्रस्तुत किया गया है जिसमें बिहार के बाल बजट का वर्तमान आकार, बाल बजट तैयार करने की प्रविधि और अन्य मामले पेश किए गए हैं। इस अध्याय की समाप्ति कुछ निष्कर्षमूलक टिप्पणियों और सुझावों के साथ होती है।

1 राज्य बजट : अवधारणा और प्रक्रिया

बजट निर्माण के वार्षिक अभ्यास का आशय हर वित्तवर्ष में विभिन्न प्राप्ति/ व्यय शीर्षों पर राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों के बारे में विवरण तैयार करने से है जिसे वित्तवर्ष के आरंभ के पहले स्वीकृति के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष पेश किया जाता है। बजट में इस विवरण को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में किए गए वर्णन के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। व्यय अनुमान में व्यय के 'प्रभारित' (चार्ज्ड) और 'दत्तमत' (वोटेड), दोनों प्रकार के मदों को दर्शाया जाता है। बजट अनुमान के प्रभारित व्यय से संबंधित हिस्से (जिन्हें टाला नहीं जा सकता है, जैसे कि वर्तमान कर्मचारियों का वेतन) को विधान सभा के सामने मतदान के लिए नहीं पेश किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 202 (3) में उन व्यय श्रेणियों को दर्शाया गया है जिन्हें राज्य सरकार के लिए प्रभारित किया जा सकता है (अनुलग्नक 1)। वहीं, व्यय के दत्तमत मदों के मामले में (जो राज्य सरकार पर प्रभारित नहीं होते हैं) उन्हें 'अनुदान मांगों' के रूप में विधान सभा के समक्ष पेश किया जाता है। चर्चा के बाद विधान सभा या तो उसे सहमित दे सकती है (पूर्णत: या कटौती के साथ) या उसके लिए इनकार कर सकती है। हालांकि, व्यय के सारे अनुमानों पर विधान सभा में चर्चा की जाती है, चाहे वे प्रभारित मद के हों या दत्तमत मद के।

2.1 राज्य सरकार के लेखे


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत राज्य सरकार के लेखों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा नियत फॉर्मेट में रखना होता है। सारे लेखों को तीन भागों में बांटा जाता है - संचित निधि (अनुच्छेद 266), आकस्मिक निधि (अनुच्छेद 267) और लोक लेखा (अनुच्छेद 266)।

संचित निधि: संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सारे राजस्वों, कोषागार विपत्रों के जिरए उठाए गए सारे ऋणों, ऋणों या अर्थोपाय अग्रिमों, और ऋणों की अदायगी के रूप में प्राप्त सारी रकम को राज्य सरकार की संचित निधि में रखा जाता है। संचित निधि की रकम को राज्य विधानमंडल की स्वीकृति के बिना खर्च नहीं किया जा सकता है।

आकस्मिक निधि: आकस्मिक निधि नियत कॉर्पस वाली अर्थदाय की प्रकृति की निधि होती है जिसे अप्रत्याशित खर्चों को करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया जा सकता है। लेकिन उससे किए गए व्यय को बाद में राज्य विधानमंडल से स्वीकृत कराना पड़ता है और व्यय की रकम की प्रतिपूर्ति राज्य की संचित निधि से करनी पड़ती है। आकस्मिक निधि की लेनदेन का बजट दस्तावेज में प्रभाग–वार उल्लेख नहीं किया जाता है।

लोक लेखा: राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सारी रकम को संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत गठित लोक लेखा में रखा जाता है। लोक लेखा की रकम निकालने के लिए विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। यह राज्य सरकार द्वारा प्राप्त और अदा किए गए ऋण, तथा स्थानीय निधियों, निजी पक्षों एवं अन्य को दिए गए अग्रिम तथा बाद में वसूली गई उनकी रकम का लेखा होता है। लोक लेखा के ये तीन प्रभाग होते हैं – (क) अनिधिबद्ध (अनफंडेड) ऋण (राज्य भविष्य निधि), (ख) जमा और अग्रिम, तथा (ग) विप्रेषण (रैमिटेंस)। अनिधिबद्ध ऋण

(राज्य भविष्य निधि) और जमा एवं अग्रिम से संबंधित लेखों में दो प्रकार की लेनदेन दर्ज की जाती है : ऐसी लेनदेन जिनके मामले में राज्य सरकार प्राप्त करने तथा बाद भुगतान करने के लिए बैंकर के बतौर काम करती है, और देय ऋणों से भिन्न अग्रिमों से संबंधित लेनदेन। विप्रेषण लेखे में महज समंजित किए जाने वाले शीर्ष शामिल होते हैं, और इन शीर्षों के तहत जमा/ निष्काषित रकम का समाधान समय-समय पर अंतिम शीर्षों के तहत समंजन के जरिए किया जाता है। इसका ब्योरा चार्ट 1 में प्रस्तृत है।



संचित निधि के घटक 2,2

संचित निधि से संबंधित लेनदेन को दो मुख्य अवयवों के अंतर्गत दर्ज किया जाता है - राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा। <u>राजस्व लेखा:</u> यह राज्य सरकार की वर्तमान प्राप्ति और व्यय का लेखा होता है। ये प्राप्तियां मुख्यत: (केंद्रीय करों में राज्य सरकार का हिस्सा सहित) कर और करेतर प्राप्तियों, शुल्कों, दी गई सेवाओं के लिए शुल्कों, जुर्मानों और अर्थदंडों, राज्य की संपदा (जैसे कि वनों) से प्राप्त राजस्व, अन्य विविध मदों, तथा केंद्र सरकार से राज्य सरकार को मिलने वाले सहायता अनुदानों के जरिए होती हैं।

प्ंजीगत लेखा : यह पूंजीगत प्रकृति की प्राप्तियों और व्ययों का लेखा होता है। पूंजीगत लेखा के तहत होने वाली प्राप्तियों में राज्य सरकार द्वारा लोक ऋण के जरिए प्राप्त रकम और ऋणों/ अग्रिमों की वसूली गई रकम शामिल होती है। पुंजीगत लेखा के तहत व्यय को तीन भागों में बांटा जाता है - (क) पूंजीगत परिव्यय (भवन और पथ निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं और विद्युत परियोजनाओं जैसी परिसंपत्तियों के निर्माण से संबंधित), (ख) लोक ऋण (ऋणों के मूलधन

की अदायगी) और (ग) ऋण एवं अग्रिम (राज्य सरकार द्वारा दिए गए)। पूंजीगत लेखा के तहत हुए कुल व्यय का वित्तपोषण अंशत: पूंजीगत प्राप्तियों से और शेष का राजस्व लेखे के अधिशेष से होता है।

2.3 घाटों के प्रकार

बजट दस्तावेज में राज्य सरकार हमेशा तीन तरह के घाटों के अनुमान पेश करती है - राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा।

राजस्व घाटा : यह किसी वित्तवर्ष में राज्य सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है।

राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्ति

आदर्श स्थिति में सभी राज्य सरकारों से राजस्व अधिशेष की, अर्थात राजस्व घाटा को ऋणात्मक रखने की आशा की जाती है।

राजकोषीय घाटा : यह राज्य सरकार के (ऋण अदायगी को छोड़कर) कुल व्यय और (लिए गए उधार को छोड़कर) कुल प्राप्ति के बीच अंतर को व्यक्त करता है।

राजकोषीय घाटा = कुल व्यय-(ऋण अदायगी को छोड़कर)-कुल व्यय(लिए गए उधार को छोड़कर)

राजकोषीय घाटा राज्य सरकार द्वारा राजस्व लेखा, और पूंजीगत लेखा, दोनो में व्यय का वर्तमान स्तर बरकरार रखने के लिए लिए गए शुद्ध उधार को व्यक्त करता है।

प्राथमिक घाटा : यह किसी वित्तवर्ष में राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राप्त होता है।

प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान

प्राथमिक घाटा कुल व्यय की पूर्ति के लिए आवश्यक राज्य सरकार की शुद्ध उधार की रकम को व्यक्त करता है जिसमें ब्याज भुगतान शामिल नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, यह लिए जाने वाले उधार की शुद्ध रकम होता है जिसके बारे में मान लिया जाता है कि राज्य की वित्तव्यवस्था पर पूर्व में कोई ऋण भार नहीं रहा है।

2.4 बजट के आंकड़े

किसी वर्ष के बजट दस्तावेज में तीन प्रकार के आंकड़े होते हैं – बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय।

<u>बजट अनुमान :</u> इन अनुमानों में आगामी वित्तवर्ष और वर्तमान वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्ययों का विस्तृत अनुमान दिया जाता है।

संशोधित अनुमान : ये अनुमान किसी वित्तवर्ष में संभावित प्राप्तियों और व्ययों का अनुमान प्रस्तुत करते हैं जिन्हें कभी-कभी वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। ये अनुमान दर्ज कर ली गई लेनदेनों और शेष वर्ष में की जाने वाली संभावित लेनदेनों को दर्शाते हैं। ये जारी किए जा चुके या जारी करने के संभावित आदेशों, या किन्हीं अन्य प्रासंगिक तथ्यों पर आधारित होते हैं जिनकी जानकारी वित्तवर्ष जारी रहने के दौरान मिलती है।

वास्तविक आंकड़े : ये वर्ष के लिए (प्राप्ति और व्यय की) वास्तविक रकम को दर्शाते हैं। इन्हें राज्य सरकार द्वारा पेश लेखों के आधार पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा तैयार किया जाता है। बजट अनुमान तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों को दो मुख्य बातों के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है - मध्याविध व्यय रूपरेखा (एमटीईएफ) और विगत तीन वर्षों का व्यय।

<u>मध्याविध व्यय रूपरेखा (एमटीईएफ)</u>: विभिन्न शीर्षों में धनराशि के आबंटन को प्रत्येक विभाग द्वारा तैयार मध्याविध व्यय रूपरेखा में चिन्हित रणनीतिक जरूरतों के लक्ष्यों के साथ संगतिपूर्ण होना चाहिए। अगर किसी विभाग के पास विभागीय मध्याविध व्यय रूपरेखा नहीं हो, तो संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) को चाहिए कि वह प्राक्कलन अधिकारियों को व्यय के लिए चिन्हित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा व्यय के प्राक्कलन के लिए नियत मानकों के बारे में व्यापक दिशानिर्देश जारी करे।

विगत तीन वर्षों के व्यय: आगामी वर्ष का प्राक्कलन तैयार करने के लिए विगत तीन वर्षों के वास्तविक व्यय के साथ-साथ वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। व्यय में वृद्धि या कमी की कोई उल्लेखनीय प्रवृत्ति, विगत वर्षों के दौरान किन्हीं असामान्य बातों, और अगले वर्ष होने वाले किसी संभावित आयोजन जिससे व्यय में काफी वृद्धि होना संभावित हो, की पहचान करने के लिए विगत वर्षों के आंकड़ों का उपयोग किया जाना चाहिए।

2.5 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की भूमिका

राज्य सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के द्वारा संविधान के प्रावधानों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप अंतिम विनियोग लेखा तैयार किया जाता है। इस लेखे में शामिल होते हैं – (क) बजट दस्तावेज में दिए गए प्रत्येक लेखाशीर्ष के तहत स्वीकृत अनुदान और व्यय की गई रकम, (ख) आबंटन और वास्तविक व्यय (चाहे प्रभारित हो या दत्तमत) के बीच महत्वपूर्ण अंतरों का संक्षिप्त स्पष्टीकरण, तथा (ग) राजस्व और पूंजीगत लेखों के तहत किए गए व्यय। संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सामने पेश करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा राज्य सरकार का विनियोग लेखा और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्यपाल को पेश किया जाता है।

यह अभ्यास विनियोग अधिनियम के अनुसार किया जाता है जिसमें राज्य विधान सभा द्वारा विभिन्न व्यय शीर्षों के तहत विभिन्न सेवाओं के लिए किए गए अनुदान की पूर्ति के लिए (राज्य सरकार की संचित निधि से) सारी रकम के आबंटन के लिए प्रावधान किया गया है।

अधिक अनुदान : कुछ मामलों में वित्तवर्ष की समाप्ति के बाद विनियोग लेखे से पता चल सकता है कि अनुदान के तहत वास्तविक व्यय उस अनुदान के लिए स्वीकृत रकम से अधिक हुआ है। ऐसे मामलों में लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं के आधार पर अधिक व्यय को संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ख) के प्रावधानों के अनुरूप विधान सभा के सामने पेश करके नियमित किया जाना चाहिए।

2.6 वित्त आयोग

भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य वित्त आयोगों के लिए प्रावधान किया गया है कि वे सरकार के एक स्तर से दूसरे स्तर तक वित्तीय संसाधनों के अंतरण के लिए अनुशंसाएं तैयार करें। इन वित्त आयोगों का गठन पांच वर्षों के लिए किया जाता है।

केंद्रीय वित्त आयोग : संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार भारत के राष्ट्रपित द्वारा हर पांचवे साल केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आयोग की योग्यताओं, शिक्त और प्रक्रियाओं का विनियमन वित्त आयोग (विविध प्रावधान) अिधनियम, 1951 के तहत किया जाता है। आयोग द्वारा राष्ट्रपित को इनके संबंध में अनुशंसाएं की जाती हैं – (1) विभाज्य करों से होने वाली शुद्ध प्राप्ति का केंद्र और राज्यों के बीच बीच वितरण, (2) भारत की संचित निधि से केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान को निर्देशित करने वाले सिद्धांत, (3) राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि बढ़ाने के आवश्यक उपाय, और (4) ठोस वित्तव्यवस्था के हित में राष्ट्रपित द्वारा उसे सौंपा गया कोई अन्य मामला।

राज्य वित्त आयोग: संविधान के अनुच्छेद 243(1) और 243(वाइ) के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा हर पांचवे साल किया जाता है। राज्य वित्त आयोग के ये दायित्व हैं – (1) राज्य में ग्रामीण और नगर स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, (2) राज्य सरकार से स्थानीय निकायों को वित्तीय संसाधनों के प्रतिनिधान के बारे में राज्यापल को अनुशंसाएं करना, और (3) कुशलता और समानता, दोनो को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के बीच हिस्से के आनुपातिक पुनर्वितरण के बारे में अनुशंसाएं करना।

2.7 योजना व्यय

अभी विभिन्न विभागों के तहत तीन प्रकार की योजनाएं हैं - राज्य योजनाएं, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)।

राज्य योजनाएं : ये योजनाएं राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से संबंधित होती हैं और उनका वित्तपोषण राज्य सरकार करती है, जैसे कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना।

कंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं : ये योजनाएं केंद्रीय सूची के तहत आने वाले क्षेत्रों से संबंधित होती हैं और उनका पूरा वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ऐसी योजनाओं के तहत धनराशि कोषागार या एजेंसी के माध्यम से प्राप्त होती है (खंड 2. 8 देखें) जो राज्य स्तर पर योजना की रूपरेखा या नियत क्रियान्वयन अभिकरण पर निर्भर करती है, जैसे कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध से बचाव।

केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) : ये वैसी योजनाएं होती हैं जिनका वित्तपोषण केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनो द्वारा आपस में स्वीकृत पैटर्न के अनुरूप किया जाता है। इन योजनाओं का निर्माण और अनुश्रवण सामान्यत: केंद्र सरकार के मंत्रालयों द्वारा किया जाता है जिसमें क्षेत्र स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकार के विभाग जवाबदेह होते हैं। अभी अधिकांश केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के वित्तपोषण पैटर्न पर चलती हैं जैसे कि समग्र शिक्षा अभियान।

2.8 बजट चक्र/ प्रक्रिया

बजट चक्र (अनुलग्नक 2) सामान्यत: वर्तमान वर्ष के सितम्बर माह के पहले सप्ताह से शुरू हो जाता है और अगले वित्तवर्ष के अप्रील माह तक जारी रहता है। बिहार सरकार का बजट कैलेंडर नीचे पेश है :

तालिका 2.1 : बिहार सरकार का बजट कैलेंडर

| समय | एजेंडा |
|--------------------------|---|
| जुलाई से अगस्त | विधान सभा के कार्यक्रम के अनुसार पहला अनुपूरक व्यय विवरण (प्रथम अनुपूरक विवरण से संबंधित विनियोग विधेयक सभी नियंत्रक अधिकारी/ विभाग और महालेखाकार को भेजा जाता है।) |
| सितंबर का पहला सप्ताह | वित्त विभाग द्वारा सभी प्रशासनिक विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को रिक्त फॉर्मेट में बजट परिपत्र जारी किया जाता है। |
| अक्तूबर से नवंबर | नियंत्रण अधिकारियों को आगामी वर्ष का बजट अनुमान महालेखाकार, प्रशासनिक विभाग और वित्त विभाग को भेजना होता है। |
| नवंबर से दिसंबर | नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रस्तावित बजट अनुमान पर वित्त विभाग में संबंधित विभाग के साथ विचार-विमर्श होता है। |
| नवंबर से जनवरी | विधान सभा के कार्यक्रम के अनुसार द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण (द्वितीय अनुपूरक विवरण से संबंधित विनियोग विधेयक सभी नियंत्रक अधिकारी/ विभाग और महालेखाकार को भेजा जाता है।) |
| फरवरी से मार्च | नियंत्रण अधिकारियों द्वारा वित्त विभाग को बची हुई रकम का अभ्यर्पण (सरेंडर) |
| फरवरी से मार्च | विधान सभा के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण और अन्य बजट पुस्तिकाओं तथा तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण की प्रस्तुति (मुख्य बजट और तृतीय अनुपूरक विवरण से संबंधित विनियोग विधेयक सभी नियंत्रक अधिकारी/ विभाग और महालेखाकार को भेजा जाता है।) |
| फरवरी से अप्रील | वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों और महालेखाकार को बजट पुस्तिकाओं का वितरण। |

स्रोत : बजट मैनुअल, बिहार

चार्ट 2.2 : बजट चक्र

बजट निर्माण की समीक्षा,
योजना निर्माण और तैयारी

बजट अनुपालन सुनिश्चित
करने के लिए बजट का
अनुश्रवण

बाहरी लेखापरीक्षा : सीएजी द्वारा अनुश्रवण

बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) : बजट निर्माण की पूरी प्रक्रिया में बजट नियंत्रण अधिकारी की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं क्योंिक वही अधिकारी व्यय के नियंत्रण और किसी लेखाशीर्ष के लिए प्राप्ति के लिए जिम्मेवार होते हैं। विभिन्न अधिकारियों को बजट अनुमान विमुक्त करने के लिए वह प्रशासनिक और वित्त विभागों के द्वारा अधिकृत होते हैं। राज्य प्रशासन में प्रत्येक बजट नियंत्रण अधिकारी को चार अंकों का एक कोड दिया जाता है। इन कोडों को व्यापक वित्त प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस) में डालने पर पूरे वित्तवर्ष में बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा बजट आबंटनों के वितरण का अनुश्रवण करने में मदद मिलती है।

स्थापना और कार्यार्पित व्यय: योजना व्यय (खंड 2.7) के अलावा बजट विवरण में स्थापना और कार्यार्पित व्यय भी शामिल होते हैं जो राज्य सरकार के सभी व्ययों को शामिल करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द समूह है। इसमें विकासमूलक और विकासेतर, दोनो प्रकार के व्यय शामिल होते हैं। व्यय का विकास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान करने वाला हिस्सा विकासमूलक व्यय होता है, जैसे कि विद्यालय, अस्पताल आदि शिक्षा और लोक स्वास्थ्य अधिसंरचना का रखरखाव। इसी प्रकार, जो व्यय आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष योगदान नहीं करते हैं उन्हें विकासेतर व्यय कहा जाता है, जैसे कि प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के रखरखाव पर व्यय, प्रशासनिक व्यय आदि। कुल स्थापना और कार्यार्पित व्यय में इन श्रेणियों के व्यय विकासेतर प्रकृति के होते हैं – (क) बाध्यकारी प्रकृति के व्यय (जैसे ब्याज भुगतान, पेंशन संबंधी व्यय, और आंतरिक सुरक्षा व्यय), (ख) अतीत में सृजित परिसंपत्तियों पर व्यय, और (ग) योजना अवधि में में शीर्ष स्तर तक पहुंच चकी जारी सेवाओं और गतिविधियों पर व्यय (जैसे जारी शोध परियोजनाओं और विद्यत संयंत्रों का प्रचालन व्यय)।

अनुपूरक अनुदान : इन अनुदानों की जरूरत वर्तमान वित्तवर्ष के लिए वार्षिक बजट विवरण में शामिल कुल अनुदानों के अतिरिक्त पड़ती है। ऐसे अनुदानों के लिए संविधान के अनुच्छेद 205(1)(क) में वर्णित रीति से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है, और उन्हें वैधानिक प्रक्रिया के उन्हीं चरणों के जिरए पारित कराना होता है जो मूल बजट प्रस्ताव के लिए होते हैं। लेखानुदान : संविधान के अनुच्छेद 206 के तहत संचित निधि से कुछ धनराशियों की निकासी की, यहां तक कि अनुमान मांगों पर मतदान और विनियोग विधेयक (संविधान के अनुच्छेद 203 और 204) पारित होने के पहले भी स्वीकृति देने की शिक्त राज्य की विधान सभा में निहित होती है। विधान सभा द्वारा अग्रिम में किए गए ऐसे अनुदानों को लेखानुदान कहा जाता है।

बजटेतर व्यय: यह राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली उन गतिविधियों पर व्यय को कहा जाता है जिन पर राज्य की संचित निधि के माध्यम से व्यय नहीं होता है। इसीलिए ये व्यय बजट प्रक्रिया के बाहर होते हैं और बजट दस्तावेज में इनका उल्लेख नहीं होता है। बजटेतर व्यय के कुछ उदाहरणों में विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य सरकार के विभिन्न अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली केंद्रीय सहायता, उपभोग शुल्क के संग्रहण से राज्य के विभागों/ अभिकरणों द्वारा किया जाने वाला व्यय, और सार्वजनिक-निजी साझेदारी समझौतों के तहत निजी संवेदकों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली परिसंपत्तियों का मूल्य शामिल हैं।

2.9 लेखाकरण का वर्तमान वर्गीकरण ¹

बजट में सरकार की प्राप्तियों और व्ययों को प्रस्तुत करने के लिए लेखाकरण के वर्तमान वर्गीकरण में अनेक स्तर (टायर) होते हैं। बजट में सरकार के व्यय का वर्गीकरण तीन क्षेत्रों/ शीर्षों के तहत किया जाता है। इनको उप-क्षेत्रों में इस प्रकार उप-विभाजित किया जाता है:

तालिका 2.2 : सरकार के व्यय के तीन प्रकार

| | सामान्य सेवाएं सामाजिक सेवाएं | | | आर्थिक सेवाएं |
|----|-------------------------------|--------------------------------------|----|---------------------------|
| a. | राज्य के अंग | a. शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति | a. | कृषि एवं सहवर्ती सेवाएं |
| b. | राजकोषीय सेवाएं | b. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | b. | ग्रामीण विकास |
| c. | ब्याज भुगतान तथा ऋण | c. जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर | c. | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण |
| | सेवा अदायगी | विकास | d. | ऊर्जा |
| d. | प्रशासनिक सेवाएं | d. सूचना एवं प्रचार | e. | ऊर्जा एवं खनिज |
| e. | पेंशन और विविध सामान्य | e. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति | f. | परिवहन |
| | सेवाएं | एवं अन्य पिछडा़ वर्ग कल्याण | g. | विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं |
| f. | अन्य राजकोषीय सेवाएं | f. श्रम एवं श्रमिक कल्याण | | पर्यावरण |
| | | g. समाज कल्याण एवं पोषण | h. | सामान्य आर्थिक सेवाएं |
| | | h. अन्य | | |

स्रोत : बजट मैनुअल, बिहार

क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों के बाद लेखाकरण का वर्तमान वर्गीकरण छ: स्तरों वाला होता है जो इस प्रकार हैं:

- (क) <u>मुख्य शीर्ष (पहला स्तर)</u> मुख्य शीर्ष हर क्षेत्र/ उप-क्षेत्र में नियत होते हैं। वे प्रत्येक क्षेत्र/ उप-क्षेत्र के अंदर सरकार के एक खास कार्य को दर्शाते हैं, जैसे शिक्षा, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास।
- (ख) <u>उप-मुख्य शीर्ष (दूसरा स्तर)</u> : मुख्य शीर्षों को दो उप-मुख्य शीर्षों में उपविभाजित किया जाता है। हर मुख्य शीर्ष के अंदर उप-मुख्य शीर्ष उन लेनदेनों को दर्ज करने के लिए शुरू किए जाते हैं जो विशिष्ट प्रकृति के हों और अलग दर्ज करने के लिहाज से उनका पर्याप्त महत्व हो, लेकिन साथ ही वे मुख्य शीर्ष के कार्यों के सहवर्ती हों। जैसे, मुख्य शीर्ष 'शिक्षा' में प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, और विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा उप-मुख्य शीर्ष शामिल हैं।
- (ग) लघु शीर्ष (तीसरा स्तर): उप-मुख्य शीर्षों को भी लघु शीर्षों में बांटा जाता है। लघु शीर्ष किसी विभाग द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों, या व्यापक कार्यक्रम समूहों के अनुरूप होते हैं। जैसे, उप-मुख्य शीर्ष प्रारंभिक शिक्षा के तहत लघु प्रशासनिक शीर्षों में निर्देश एवं प्रशासन, सरकारी प्राथमिक विद्यालय और अनुश्रवण/ निरीक्षण शामिल हैं।

¹ लेखाकरण के वर्तमान वर्गीकरण पर प्रस्तुत खंड 2.9 बिहार बजट मैनुअल 2016 (पृष्ठ 51-52) के नियम 9 पर आधारित है।

- (घ) <u>उप-शीर्ष (चौथा स्तर)</u> : उप-शीर्ष सामूहिक उप-शीर्ष (जीएसएच) के अंतर्गत आते हैं जो लघु शीर्ष द्वारा व्यक्त किसी कार्यक्रम के तहत चलने वाली योजनाओं को सूचित करते हैं। सामूहिक उप-शीर्ष उन समान योजना समूहों को व्यक्त करता है जिनका क्रियान्वयन अलग वित्तपोषण पैटर्न के तहत होता है। इसे दो अंकों वाले कोड के जिए व्यक्त किया जाता है। मूल रूप से लघु शीर्ष के नीचे के स्तर राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं इसलिए सामूहिक उप-शीर्ष राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं। योजनेतर व्यय के मामले में उप-शीर्ष विभाग के प्रशासनिक ढांचे को भी व्यक्त करते हैं। जैसे, अस्पताल एवं औषधालय लघु शीर्ष के तहत जिला मुख्यालय अस्पताल एक उप-शीर्ष है।
- (च) <u>वस्तु शीर्ष (पांचवां स्तर) :</u> उप-शीर्षों को भी वस्तु शीर्षों में बांटा जाता है जो वेतन, यात्रा व्यय, और कार्यालय व्यय जैसी व्यय की विशेष चीजों को व्यक्त करता है।
- (छ) <u>विस्तृत शीर्ष (छठा स्तर)</u> वस्तु शीर्षों को भी विस्तृत शीर्षों में विभाजित किया जाता है जो लेखाकरण के वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाइयां होते हैं। जहां जरूरी हो, वे व्यय नियंत्रण और अनुश्रवण के मकसद से विस्तृत लेखाशीर्षों का अलग-अलग विवरण दर्शाते हैं। जैसे वेतन व्यय को वेतन, भत्तों, मकान भाड़ा भत्ता, महंगाई भत्ता, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, अर्जित अवकाश के नकदीकरण और अवकाश यात्रा संबंधी छूट में बांटा जाता है। चूंकि इस वर्गीकरण पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मूलत: विचार नहीं किया गया था इसलिए राज्य के महालेखाकार द्वारा लेखों को सामान्यत: इस स्तर तक नहीं रखा जाता है। महालेखाकार द्वारा अभी उप-शीर्ष स्तर तक ही लेखे लिखे जाते हैं।


2.10 व्यय के अनुमान


नए शीर्ष शुरू करने की क्रियाविधि:


नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियत लेखाकरण का उक्त वर्गीकरण सभी राज्यों के लिए समान है और राज्य की संचित निधि के राजस्व लेखा, पूंजीगत लेखा और ऋण लेखा, तथा आकिस्मक निधि और लोक लेखा के तहत लेनदेन के लिए एक समान है। सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और आर्थिक सेवाएं – तीन क्षेत्रों में सरकार की वर्गीकरण गतिविधियों में उनके लिए क्रमश: ए, बी और सी अक्षर तय किए गए हैं। जैसा कि बिहार बजट मैनुअल 2016 में वर्णित है, संचित निधि, आकिस्मक निधि और लोक लेखा में प्रत्येक मुख्य शीर्ष को एक संख्यात्मक कोड दिया गया है। यह चार अंकों का अंग्रेजी अंकों वाला कोड है जिसमें पहला अंक दर्शाता है कि वह राजस्व लेखा, पूंजीगत लेखा, ऋण लेखा, या लोक लेखा के प्राप्ति खंड का मुख्य शीर्ष है या व्यय खंड का। वहीं, कोड के अंतिम तीन अंक मुख्य शीर्षों को व्यक्त करते हैं – इस बात से निरपेक्ष कि वे राजस्व खंड के हैं या व्यय खंड के। इस प्रकार, मुख्य शीर्ष का तीन अंकों का कोड सभी राजस्व, पूंजीगत या ऋण एवं अग्रिम लेखों में एक ही रहता है।

प्राप्ति और व्यय के मुख्य शीर्षों को इस प्रकार संख्यात्मक कोड आबंटित किए गए हैं:

चार्ट 2.3 : कोडिंग का पैटर्न







इस प्रकार प्रत्येक मुख्य शीर्ष को चार अंकों का कोड आबंटित किया गया है जिसमें पहला अंक दर्शाता है कि वह मुख्य शीर्ष प्राप्ति शीर्ष है, राजस्व व्यय शीर्ष है, पूंजीगत व्यय शीर्ष है, ऋण एवं अग्रिम शीर्ष है, या लोक लेखा के अंतर्गत है। अगर पहला अंक '0' या '1' है, तो लेखा शीर्ष राजस्व प्राप्ति को दर्शाता है। अगर पहला अंक '2' या '3' है तो वह राजस्व व्यय शीर्ष बताता है। पहला अंक '4' या '5' होने पर वह पूंजीगत व्यय को और पहला अंक '6' या '7' होने पर वह ऋण एवं अग्रिम शीर्ष को व्यक्त करता है। और पहला अंक '8' या '9' होने पर वह आकस्मिक निधि और लोक लेखा को दर्शाता है।

लेखाकरण वर्गीकरण करने का उक्त तरीका एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। लेखाकरण वर्गीकरण को 'सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं' खंड में मुख्य शीर्ष 'शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति' पर और उसी खंड में 'सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण' मुख्य शीर्ष पर लागू किया गया है।

तालिका 2.3 : प्राप्ति और व्यय के मुख्य शीर्ष

| क्र.सं. | वर्गीकरण शीर्ष | मुख्य शीर्ष |
|---------|---|-------------|
| 1. | राजस्व लेखा प्राप्ति | 0005-1999 |
| 2. | राजस्व लेखा व्यय | 2011-3999 |
| 3. | पूंजीगत प्राप्ति | 4000 |
| 4. | पूंजीगत व्यय | 4011-5999 |
| 5. | लोक ऋण | 6001-6010 |
| 6. | ऋण एवं अग्रिम, अंतर-राज्य समझौते, आकस्मिक निधि में अंतरण | 6075-7999 |
| 7. | आकस्मिक निधि | 8000 |
| 8. | लोक लेखा | 8001-8999 |

तालिका 2.4 : बजट का वर्गीकरण

| प्राप्ति मुख्य शीर्ष (राजस्व लेखा) | व्यय मुख्य शीर्ष (राजस्व लेखा) | पूंजीगत मुख्य शीर्ष | ऋणगत मुख्य शीर्ष |
|--|-------------------------------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति | 2202- सामान्य शिक्षा | 4202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, | |
| 0235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | _ |

स्रोत : बजट मैनुअल, बिहार

03 बाल बजट को समझना

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1989 में बाल अधिकार समझौता पारित किया था जिसकी पुष्टि भारत ने भी की थी। वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र ने बाल अधिकारों को मूर्त रूप देने के लिए सार्वजिनक बजट निर्माण पर सामान्य टिप्पणी संख्या 19 को भी सूत्रबद्ध किया था। इस दस्तावेज (सामान्य टिप्पणी संख्या 19) में बच्चों पर निवेश के लिए राज्यों के कानूनी दायित्व पर विस्तृत दिशानिर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। उसमें अन्य बातों के अलावा इसका भी उल्लेख है कि बाल अधिकारों को मूर्त रूप देने के लिए मुक्त, समावेशी और जवाबदेह संसाधन संग्रहण, बजट आबंटन और व्यय होना चाहिए। राज्य को चाहिए कि वह किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करे और नियमित रूप से यह भी सुनिश्चित करे कि बच्चे बजट संबंधी निर्णयों में भाग लें, और उनसे संबंधित मामलों पर बच्चों को भाग लेने की अनुमित दी जाय। योजनाओं और बजट में बच्चों को प्राथिमकता ही नहीं दी जानी चाहिए, भेदभाव विहीनता और समानता के सिद्धांतों का पालन करते हुए उसका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

आबादी में बच्चों की अच्छी-खासी (कुल आबादी का 39 प्रतिशत) जनसंख्या वाले भारत ने भी सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) की अविध में अनेक केंद्र प्रायोजित योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के जिरए बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण को उच्च प्राथमिकता दी है जिसके कारण बाल विकास में काफी प्रगित हुई है। यह रुझान बिहार के मामले में भी सच है जहां बच्चों का कुल आबादी में 48 प्रतिशत हिस्सा है।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और लैंगिक समानता को इसके कुछ मुख्य लक्ष्यों के बतौर तय किया गया है। इन लक्ष्यों की प्राप्त सावधानी से योजना निर्माण और पर्याप्त संसाधन आबंटन के जिए ही हो सकती है। बिहार और भारत, दोनो ही में बच्चों की आबादी बढ़ रही है लेकिन बाल बजट के आकार में प्रचुर वृद्धि नहीं हुई है। बजट निर्माण की प्रिकिया में बाल कल्याण और संरक्षण खास तौर पर उपेक्षित रहे हैं। बाल संरक्षण का बजट मुख्यत: बाल शोषण के शिकार बच्चों के लिए और जागरूकता पैदा करने के लिहाज से समुदाय आधारित ढांचों (जैसे बाल संरक्षण सिमितियों) को मजबूत करने जैसे पहलुओं के लिए रहा है। यहां तक िक शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी बजट आबंटन इतना पर्याप्त नहीं होता है कि सबके लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। बाल बजट का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष व्यय बनाम आबंटन है। कुशल क्रियान्वयन और परिणाम आधारित प्रबंधन ऐसे दो क्षेत्र हैं जो संयुक्त होकर आबंटन की रकम के व्यय में सुधार ला सकते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि मानव संसाधनों की कमी, दोषयुक्त क्रियान्वयन नेटवर्क, और कनवर्जेंस की कमी के रूप में सामने आने वाली चुनौतियां योजनाओं के कार्यवाही और परिणामों में बदलने को नुकसान पहुंचाती हैं। साथ ही, बच्चों के अधिकार आपस में नथे-गुंथे हैं इसिलए सुपोषित और स्वस्थ बच्चा ही शिक्षा उपलब्ध होने का आनंद ले पाता है और शैक्षिक प्रक्रिया से लाभान्वित होता है। अगर पोषण और संरक्षण संबंधी अधिकार सुनिश्चित नहीं किए जाएं, तो अन्य क्षेत्रों (पर्याप्त वित्तपोषण होने के बाद भी, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा) से भी इच्छित परिणाम नहीं मिलेगा। इसिलए यह बात कबूल करनी चाहिए कि बजट आबंटनों और कुशल व्ययों के जिएए बाल कल्याण के लक्ष्यों और परिणामों की प्राप्त के लिए समग्रतापूर्ण दृष्टिकोण की जरूरत है।

3.1 वर्तमान स्थिति

बाल बजट सूत्रबद्ध करने की प्रक्रिया बिहार में 2013-14 में शुरू हुई। केंद्र सरकार के साथ बिहार, असम और केरल ऐसे पहले तीन राज्य थे जिन्होंने बाल बजट तैयार करने की शुरुआत की। बाद में, 2020 में इस सूची में कर्नाटक और महाराष्ट्र भी जुड़ गए। वर्ष 2017-18 तक बिहार के बाल बजट विवरण में सिर्फ आठ विभागों के आबंटन और व्यय दर्ज हो रहे थे। लेकिन 2020-21 से फामेंट बदल गया है और बाल बजट में 11 विभाग अपने व्यय की रिपोर्ट दे रहे हैं। आने वाले वर्षों में रिपोर्ट करने वाले संबंधित विभागों की संख्या बढ़ने की आशा है। तालिका 3.1 दर्शाती है कि विगत नौ वर्षों में बच्चों के लिए आबंटन और व्यय लगातार बढ़ा है। वर्ष 2013-14 से 2019-20 के बीच बच्चों के लिए समग्र व्यय का आंकड़ा 2013-14 के 7826 करोड़ रु. से बढ़कर 2019-20 में 27,640 करोड़ रु. हो गया जो 22.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है। इसी तरह, 2013-14 से 2020-21 के बीच आबंटन भी 21.6 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2013-14 के 7178 करोड़ रु. से 2020-21 में 38,864 करोड़ रु. हो गया। लेकिन इन वर्षों के दौरान उपयोगिता प्रतिशत में उतार-चढाव रहा है जो 2019-20 में 76.7 प्रतिशत था तो 2018-19 में 122.0 प्रतिशत।

तालिका 3.1 : बाल बजट का कुल आबंटन और व्यय (2013-14 से 2021-22) (करोड़ रु.)

| वर्ष | कुल आबंटन (लाख रु.) | कुल व्यय (लाख रु.) | उपयोग (%) |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| 2013-14 | 7178 | 7826 | 109.0 |
| 2014-15 | 14225 | 11748 | 82.6 |
| 2015-16 | 15968 | 14951 | 93.6 |
| 2016-17 | 15149 | 16638 | 109.8 |
| 2017-18 | 18420 | 17530 | 95.2 |
| 2018-19 | 23402 | 28553 | 122.0 |
| 2019-20 | 36051 | 27640 | 76.7 |
| 2020-21 | 37258 | _ | _ |
| 2021-22 | 38864 | - | _ |
| वार्षिक चक्रवृद्धि दर | 21.6 | 22.7 | |

स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

3.2 बाल बजट का निर्माण कैसे करें?

बाल बजट निर्माण ऐसी व्यवस्था है जिसमें बच्चों के कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए रकम का आबंटन किया जाता है। इस प्रकाशन का मकसद बाल बजट निर्माण के क्रियान्वयन के लिए सरल, व्यवहारिक मार्गदर्शिका तैयार करना है। बाल बजट निर्माण के लिए कोई सरल या सबके उपयोग में आने लायक साधन नहीं है। साहित्य से जो बात सामने आती है वह है व्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्धता पर आधारित प्रविधि विकसित करने की इच्छा। जो लोग बाल बजट निर्माण में शामिल हैं उनके लिए बच्चों के लिए प्रासंगिक मुद्दों पर काम करने के लिए अनुभव और समझ जरूरी होती है। यहां जिन मूल बातों पर चर्चा की गई है उन्हें अन्य हैंडबुक या मार्गदर्शी सामग्रियों में भी शामिल किया गया हो सकता है, और अनेक मामलों में ऐसा है भी। बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया को तीन चरणों में बांटा जा सकता है:

- (1) (0 से 18 वर्ष आयु के) किसी बच्चे के नजरिए से बजट का विश्लेषण
- (2) विभिन्न बाल केंद्रित योजनाओं के आधार पर आधारित बाल बजट का मानचित्रण
- (3) बजट संबंधी प्रक्रियाओं में विश्लेषण की श्रेणी के बतौर बच्चों को मुख्य धारा में लाना



चार्ट 3.1 : बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया

बाल बजट का फॉर्मेट भी मुख्य फॉर्मेट के साथ संलग्न होता है और सभी संबंधित विभागों के प्राक्कलन अधिकारियों को दिशानिर्देशों के साथ भेज दिया जाता है।

बाल बजट के फॉर्मेट में प्राक्कलन अधिकारियों को आगामी वर्ष के बजट अनुमान, वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान और गत वर्ष हुए वास्तविक व्यय के अनुसार हर योजना के लिए किए गए आबंटनों को लिखना होता है। साथ ही, हर योजना के लिए फॉर्मेट में गत वर्ष के लिए चिन्हित प्रदर्शन सूचकों की स्थिति और आगामी वर्ष के लिए तय लक्ष्य भी लिखना होता है। इसी प्रकार, फॉर्मेट में हर योजना के व्यय को विस्तृत घटकों में बांटकर भी लिखने की जरूरत पडती है।

बाल बजट के लिए आंकड़े एकत्र करने का पैटर्न मुख्य बजट जैसा ही है लेकिन इसमें बच्चों के लिए प्रत्यक्ष लाभ वाली योजनाओं को ही शामिल किया जाता है। बाल बजट दस्तावेज में इन योजनाओं को विभागवार संकलित किया जाता है। बाल बजट निर्माण का मकसद सरकार द्वारा बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य से अमल में लाई गई सारी नीतियों, परियोजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं के नियोजन और बजट निर्माण को प्रभावित करना होता है। इसे बच्चों से संबंधित नए हस्तक्षेपों के लिए आरंभ बिंदु भी माना जाता है। इस अभ्यास का औचित्य बच्चों के लिए बजट के जिए सरकार की प्रतिबद्धताओं को आंकना होता है क्योंकि बच्चों के कल्याण में सुधार लाने के रोडमैप में यह मुख्य आरंभिक कदमों में से एक होता है। इसके अलावा, यह बजट दस्तावेज बाल कल्याण की प्रगित के अनुश्रवण के लिए अनिवार्य साहित्य और साधन का भी काम करता है। अंत में, बिहार सरकार द्वारा एक अलग दस्तावेज के रूप में बाल बजट को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

3.3 प्रविधि

बाल बजट निर्माण के लिए अपनाई गई प्रविधि बाल केंद्रित विभागों के विभिन्न मांग दस्तावेजों या विभिन्न विभागों की बाल केंद्रित योजनाओं के विश्लेषण पर आधारित होती है। मांग दस्तावेजों से बाल केंद्रित योजनाओं और उप-योजनाओं को बाल बजट दस्तावेज में संचित कर लिया जाता है। उसी के अनुसार स्थापना और कार्यापित व्ययों तथा योजना व्ययों, दोनो के मामले में चिन्हित बाल केंद्रित योजनाओं, उप-योजनाओं और कार्यक्रमों के आबंटन और व्यय विवरणों को उसमें शामिल कर लिया जाता है। बच्चों के लिए सही-सही आबंटन पर नजर रखने के लिए बच्चों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों पर ही विचार किया जाता है।

राष्ट्रीय बाल नीति (2013) में बच्चों पर होने वाले सार्वजनिक व्यय को चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। वे हैं: (1) बाल उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण, (2) शिक्षा एवं विकास, (3) बाल संरक्षण और (4) बाल सहभागिता (बच्चों की भागीदारी)। बिहार की बाल केंद्रित योजनाएं और कार्यक्रम प्राथमिकता वाले इन्हीं क्षेत्रों पर आधारित हैं।

- (क) स्वास्थ्य : सर्वोच्च स्तर की व्यापक और अनिवार्य रोग निवारक, प्रोत्साहक, आरोग्यकारी और पुनर्वासमूलक स्वास्थ्य देखरेख तक समान पहुंच सुनिश्चित करने वाली योजनाएं/ कार्यक्रम।
- (ख) शिक्षा : विशेष आवश्यकता वाले बच्चों समेत प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा और सीखने का अधिकार सुनिश्चित करने वाली योजनाएं/ कार्यक्रम।
- (ग) संरक्षण: सभी परिस्थितियों में सभी बच्चों की असुरक्षित स्थिति में कमी लाने और उन्हें सभी स्थानों पर सुरक्षित रखने के लिहाज से ध्यान रखने वाली, संरक्षी और सुरक्षित वातावरण तैयार करने वाली योजनाएं/ कार्यक्रम।
- (घ) सहभागिता: मीना मंच, बाल संसद और बाल पंचायत जैसे विभिन्न मंचों के जिरए निर्णय लेने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी के लिए अवसर सुनिश्चित करने वाली योजनाएं और कार्यक्रम। ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों का उस हद तक सशक्तीकरण करना है कि वे अपने अधिकारों को समझ सकें और नीतिगत ढांचों में उनका भी असर हो।

कुपोषण, रक्ताल्पता, बाल विवाह, बाल श्रम, विद्यालय त्याग, एचआइवी/ एड्स, मानव व्यापार, व्यावसायिक यौन कार्य

किशोरावस्था
(11 से 18 वर्ष)

शिशु हत्या, शिशु मृत्यु, स्तनपान में भेदभाव, स्वास्थ्य देखरेख

बच्चा (1 से 10 वर्ष)

(0 से 1 वर्ष)

गर्भधारण

भ्रूणहत्या

चार्ट 3.2 : बाल विकास के चरण और संबंधित चुनौतियां

आयोडीन न्यूनता विकार, विद्यालय त्याग, बाल श्रम, भोजन और स्वास्थ्य देखरेख

में भेदभाव, बाल दुर्व्यवहार

चार्ट 3.3 : बाल बजट निर्माण में शामिल चरण

कदम 1

मुख्य बजट के फॉर्मेट में अलग से पत्र और बाल बजट का फॉर्मेट संलग्न किया जाता है। फॉर्मेट में गत वर्ष के वास्तविक व्यय, तथा वर्तमान और आगामी वर्षों के बजट अनुमानों तथा वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान की सूचनाएं देना जरूरी होता है



कदम 🤈

उसी के अनुसार मांग दस्तावेज से बाल केंद्रित योजनाएं चिन्हित और अलग की जाती हैं।



कदम 3

प्रत्येक योजना और उपयोजना के लिए आबंटन के विवरण शामिल किए जाते हैं। साथ ही, विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में बच्चों के अधिकारों की पूर्ति के लिए आबंटित धनराशि की भी जांच की जाती है।



कदम 4


बाल बजट में उन्हीं योजनाओं पर विचार किया और उन्हें शामिल किया जाता है जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव हो और उनके लिए बजट आबंटन हो।



कदम 5

योजनाओं को दो भागों में बांटा जाता है : राज्य योजना और केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) या केंद्रीय क्षेत्र की योजना।

बजट विवरण दो भागों में दिए जाते हैं: स्थापना और कार्यार्पित व्यय तथा योजना व्यय। केंद्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं में अलग से जानकारी भी दी जाती है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए पीएफएमएस कोड भी दिए जाते हैं। अभी बाल बजट में 11 विभागों की जानकारी दी जाती है – कला, संस्कृति एवं युवा कार्य; पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण; समाज कल्याण; अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण; स्वास्थ्य; श्रम संसाधन; लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण; अल्पसंख्यक कल्याण; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन; शिक्षा; तथा गृह । ये विभाग बाल विकास के लिए अपनी अच्छी-खासी धनराशि खर्च करते हैं।



चार्ट 3.4 : बिहार बाल बजट में शामिल संबंधित विभाग

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े बाल बजट निर्माण में शामिल संबंधित विभाग की योजनाओं की संख्या दर्शाते हैं।

वित्त विभाग के बजट अधिकारी और विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी बाल बजट तैयार करने के लिए राज्य सरकार के खास तौर पर जिम्मेवार अधिकारी होते हैं।

बजट अधिकारी : बजट अधिकारी विभिन्न विभागों द्वारा भेजी गई सूचनाओं को बाल बजट के लिए संकलित करने के लिए जिम्मेवार होते हैं। यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेवारी होती है कि एकत्र की गई जानकारी नियत फॉर्मेट के अनुरूप हो और उसमें बाल बजट दस्तावेज की जरूरत के अनुसार सारे विवरण शामिल हों।

नोडल अधिकारी: हर संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी को संबंधित विभाग और वित्त विभाग के बीच समन्वय करने की जिम्मेवारी होती है। वे इसकी जांच की करते हैं कि संबंधित विभाग द्वारा दी गई जानकारी पूरी और नियत फॉर्मेट में दी गई है या नहीं।

3.4 सहभागी बजट निर्माण

सहभागी बजट निर्माण (पीबी) को ऐसी प्रक्रिया के बतौर परिभाषित किया जाता है जिसके जरिए लोग (नागरिक समाज

संगठनों और विकास के अन्य साझीदारों के जिए। स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक शासन के विभिन्न स्तरों पर बजट बनाने, निर्णय लेने, और बजट के निष्पादन का अनुश्रवण करने में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। सहभागी बजट निर्माण के जिए बच्चे, अन्य साझीदार और नागरिक समाज संगठन विकास संबंधी पहल की पहचान करने, उस पर चर्चा करने और उसे प्राथमिकता देने में सिक्रयता से हिस्सा ले सकते हैं। सहभागी बजट निर्माण अनेक प्रकार के लोगों को साथ लाता है, सामाजिक संसिक्त में सहयोग देता है और सार्वजिनक व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाता है। यह बच्चों के लिए वर्तमान में महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति बजट की अनुक्रियता में भी सुधार लाता है। बजट निर्माण का अभ्यास शुरू करने के पहले राज्य सरकार संबंधित विभागों के संबंधित अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ बजट-पूर्व बैठक करने की परिपाटी का पालन करती है। यह बैठक बाल बजट विवरण की सूचना देने वाले प्रत्येक विभाग के नोडल और बजट अधिकारियों को प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट हो लेने, सुझाव देने, तथा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में आपस में फैसला करने और इस प्रकार बजट चक्र को सहभागी और पारदर्शी बनाने में मदद करती है (अनुलग्नक 5)।

3.5 सुझाव

विगत वर्षों के दौरान बिहार सरकार द्वारा तैयार किए जाने वाले बाल बजट दस्तावेज में सुधार हुआ है। इसका श्रेय कई प्रकार की प्राविधिक संशोधनों को दिया जा सकता है, जैसे (1) गत वर्ष के वास्तविक व्यय समावेश, (2) बजट कोड पर अधिक स्पष्टता, (3) बजट का राज्य योजना, केंद्र प्रायोजित योजना और केंद्रीय क्षेत्र की योजना तथा स्थापना और कार्यापित व्ययों में वर्गीकरण, तथा (4) दस्तावेज में शामिल सभी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण आदि। हालांकि, इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य सरकार निम्नलिखित दो सुझावों पर विचार कर सकती है:

- (क) बच्चों के लिए लघु शीर्षों का आरंभ: लघु शीर्ष का अर्थ मुख्य शीर्ष या उप-मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ शीर्ष से है जो किसी विभाग के खास कार्यक्रम को दर्शाता है। उप-शीर्ष का अर्थ लघु शीर्ष का अधीनस्थ शीर्ष होता है। योजनेतर व्यय में लघु शीर्ष योजनागत (प्लान) कार्यक्रमों या प्रशासनिक ढांचे के लिए योजनाओं को दर्शाता है। प्रत्येक लघु शीर्ष को तीन अंकों वाला कोड दिया गया है जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा आबंटित किया जाता है। जैसे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उपयोगी सारी योजनाओं के लिए पहले ही क्रमश: 789 और 796 का लघु कोड दे दिया गया है। इसी प्रकार, बच्चों के लिए उपयोगी योजनाओं के लिए भी लघु शीर्ष शुरू किया जा सकता है। इससे बजट में उनकी पहचान करना आसान हो जाएगा।
- (ख) सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित योजना निर्माण : केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनो ही किसी न किसी तरह से सतत विकास लक्ष्यों के प्रति अनुक्रियाशील हैं। राष्ट्रीय नीति, योजना और बजट निर्माण में स्वास्थ्य, गरीबी, शिक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, शासन (गवर्नेंस), और आर्थिक विकास के अनेक पहलुओं पर काम किया गया है। अगर बजट निर्माण प्रक्रिया को सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ दें, तो उससे बजट निर्माण प्रणाली और भी व्यापक, ढांचाबद्ध, और मापनीय हो जाएगी। सतत विकास लक्ष्यों का लक्ष्य संबंधित विभागों के बीच सहयोग में सुधार लाने में राज्यों की मदद करना और इस प्रकार अधिक संसक्त लोकनीतियों का निर्माण भी है। इसीलिए सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़े जाने वाले बाल बजट अधिक संसक्त नीतियों को दुरुस्त करने और उनके परिणामों पर नजर रखने के लिए भी अभीष्ट हैं।

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1 : प्रभारित व्ययों की सूची

प्रभारित व्यय के अंतर्गत आने वाले व्यय निम्नलिखित हैं:

- राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते तथा उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय।
- विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते।
- उन ऋणों से संबंधित शुल्क जिनके लिए राज्य देनदार है; इसमें ब्याज, ऋणशोधन निधि शुल्क और ऋणमुक्ति शुल्क, तथा ऋण और सेवा लेने तथा ऋणमुक्ति से संबंधित अन्य व्यय शामिल हैं।
- > उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों से संबंधित व्यय।
- ि किसी न्यायालय या पंचायती न्यायाधिकरण के किसी निर्णय, न्यायिक आदेश अथवा अधिनिर्णय की पूर्ति के लिए आवश्यक कोई रकम।
- संविधान या राज्य विधान सभा द्वारा घोषित कोई व्यय जो नियमत: प्रभारित है।
- उच्च न्यायालय के प्रशासिनक खर्च जिसमें न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय सारे वेतन, भत्ते और पेंशन।
- 🕨 संविधान के अनुच्छेद 290 के तहत न्यायालयों या आयोगों के खर्चों और पेंशनों से संबंधित समंजन।
- राज्य लोक सेवा आयोग के खर्च आयोग के सदस्यों और किमयों को या उनके संबंध में देय वेतन, भत्तों और पेंशनों सिहत।

पहचानने में आसानी के लिए प्रभारित व्यय से संबंधित रकम को अनुदान मांगों में सामान्यत: इटैलिक्स में छापा जाता है।

अनुलग्नक 2 : बजट चक्र

| बजट चक्र | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| बजट निर्माण | बजट का निष्पादन | बजट का अनुश्रवण | | | | | |
| सरकारी व्यय का वहनीय (अफोर्डेबल) स्तर तय करने के लिए संसाधनों का प्रारंभिक अनुमान | , , | राजस्व और प्राप्तियों की वर्ष के अंदर समीक्षा | | | | | |
| राज्य योजना आयोग के समन्वय से वार्षिक योजना व्यय सीमाओं का निर्धारण | अनुपूरक बजट का समेकन और जारी करना | किए गए व्ययों की वर्ष के अंदर समीक्षा | | | | | |
| वार्षिक व्यय का अनुमान आमंत्रित करने वाला बजट परिपत्र सभी विभागों को जारी करना | | जेंडर और परिणाम बजट संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति का अनुश्रवण | | | | | |
| राजस्व अर्जित करने वाले विभागों से मिले प्राप्ति के अनुमानों के आधार पर राज्य के वित्तीय संसाधनों का विस्तृत अनुमान | | | | | | | |
| यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभागीय अनुमान उपलब्ध संसाधनों के दायरे में आ जाएं, उनकी छानबीन, दुरुस्ती और समेकन | | | | | | | |
| वित्तमंत्री द्वारा विधान सभा में पेश करने के लिए बजट दस्तावेजों का निर्माण | | | | | | | |

अनुलग्नक 3 : बी एम (बजट मैनुअल) प्रपत्र-21

बी एम प्रपत्र-21

बाल कल्याण योजना के लिए बजट अनुमान : विभाग-वार अनुसूची

विभाग का नाम:

(रकम लाख रु. में)

| क्र. सं. | बिल कोड | योजना का नाम | वास्तविक व्यय 2020-21 | बजट अनुमान 2021-22 | संशोधित अनुमान 2021-22 | बजट अनुमान 2022-23 | योजना व्यय की प्रकृति | अभ्युक्ति (योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी) |
|-------------|------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |

नियंत्रण अधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम तिथि

अनुलग्नक 4 : बाल बजट प्रारूप

तालिका 1 बाल बजट (कुल)

| विभाग | विस्तृत कोड | 2020-21 (वास्तविक) | 2021-22 बजट अनुमान | 2021-22 संशोधित अनुमान | 2022-23 बजट अनुमान |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| शिक्षा | | | | | |
| समाज कल्याण | | | | | |
| स्वास्थ्य | | | | | |
| ग्रामीण विकास | | | | | |
| लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण | | | | | |
| अल्पसंख्यक कल्याण | | | | | |
| पिछड़ा/ अति पिछड़ा वर्ग कल्याण | | | | | |
| अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण | | | | | |
| कला, संस्कृति एवं युवा कार्य | | | | | |
| श्रम संसाधन | | | | | |
| वन एवं पर्यावरण | | | | | |
| आपदा प्रबंधन | | | | | |
| पंचायती राज | | | | | |
| योजना एवं विकास | | | | | |
| गृह | | | | | |
| वित्त | | | | | |

तालिका 2 बाल बजट (स्थापना और कार्यार्पित व्यय)

| | बाल बजट (स्थापना और कार्यार्पित व्यय) | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|------------|----------------|------------|--|
| विभाग | | 2020-21 | 2021-22 | 2021-22 | 2022-23 | |
| ાવમાન | विस्तृत कोड | (वास्तविक) | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | बजट अनुमान | |
| शिक्षा | | | | | | |
| समाज कल्याण | | | | | | |
| स्वास्थ्य | | | | | | |
| ग्रामीण विकास | | | | | | |
| लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण | | | | | | |
| अल्पसंख्यक कल्याण | | | | | | |
| पिछड़ा/ अति पिछड़ा वर्ग कल्याण | | | | | | |
| अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण | | | | | | |
| कला, संस्कृति एवं युवा कार्य | | | | | | |
| श्रम संसाधन | | | | | | |
| वन एवं पर्यावरण | | | | | | |
| आपदा प्रबंधन | | | | | | |
| पंचायती राज | | | | | | |
| योजना एवं विकास | | | | | | |
| गृह | | | | | | |
| वित्त | | | | | | |

तालिका 3 बाल बजट (राज्य योजना)

| | बाल बजट (राज्य योजना) | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|------------|------------|----------------|------------|--|
| | | 2020-21 | 2021-22 | | | |
| विभाग | विस्तृत कोड | (वास्तविक) | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | बजट अनुमान | |
| शिक्षा | | | | | | |
| समाज कल्याण | | | | | | |
| स्वास्थ्य | | | | | | |
| ग्रामीण विकास | | | | | | |
| लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण | | | | | | |
| अल्पसंख्यक कल्याण | | | | | | |
| पिछड़ा/ अति पिछड़ा वर्ग कल्याण | | | | | | |
| अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण | | | | | | |
| कला, संस्कृति एवं युवा कार्य | | | | | | |
| श्रम संसाधन | | | | | | |
| वन एवं पर्यावरण | | | | | | |
| आपदा प्रबंधन | | | | | | |
| पंचायती राज | | | | | | |
| योजना एवं विकास | | | | | | |
| गृह | | | | | | |
| वित्त | | | | | | |

तालिका 4 बाल बजट (केंद्र प्रायोजित योजना/ केंद्रीय क्षेत्र की योजना)

| | बाल बजट (केंद्र प्रायोजित योजना∕ केंद्रीय क्षेत्र की योजना | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|------------|----------------|------------|--|
| - | | 2020-21 | | | | |
| विभाग | विस्तृत कोड | (वास्तविक) | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | बजट अनुमान | |
| शिक्षा | | | | | | |
| समाज कल्याण | | | | | | |
| स्वास्थ्य | | | | | | |
| ग्रामीण विकास | | | | | | |
| लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण | | | | | | |
| अल्पसंख्यक कल्याण | | | | | | |
| पिछड़ा/ अति पिछड़ा वर्ग कल्याण | | | | | | |
| अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण | | | | | | |
| कला, संस्कृति एवं युवा कार्य | | | | | | |
| श्रम संसाधन | | | | | | |
| वन एवं पर्यावरण | | | | | | |
| आपदा प्रबंधन | | | | | | |
| पंचायती राज | | | | | | |
| योजना एवं विकास | | | | | | |
| गृह | | | | | | |
| वित्त | | | | | | |

Annexure V

संचिका संख्या- ब-16/बी०एस०जी०-106/2019

/ वि0

बिहार सरकार वित्त विभाग

प्रेषक.

एस**० सिद्धार्थ,** प्रधान सचिव ।

सेवा में.

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव

शिक्षा/समाज कल्याण/स्वास्थ्य/ग्रामीण विकास/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण /अल्पसंख्यक कल्याण/पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण/कला संस्कृति एवं युवा/श्रम संसाधन/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन/आपदा प्रबंधन/पंचायती राज/ योजना एवं विकास/गृह विभाग बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक:-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट पुस्तिका के निर्माण हेतु दिनांक-02.03.2020 को आयोजित बैठक के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020–21 के बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट पुस्तिका के निर्माण से संबंधित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श हेतु दिनांक–02.03.2020 को पूर्वाहन् 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई है ।

उक्त बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट पुस्तिका निर्माण हेतु बाल कल्याण से संबंधित बजट शीर्ष को चिह्नित करते हुए संलग्न विहित प्रपत्र में संक्षिप्त विवरणी के साथ सूचना अंकित करते हुए उक्त बैठक में भाग लेने हेतु संबंधित पदाधिकारी को निदेशित करने की कृपा की जाय । सुलभ प्रसंग हेतु बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट पुस्तिका से संबंधित एस0ओ0पी0 संलग्न है ।

अनुलग्नक:— यथोक्त

विश्वासभाजन

(एस० सिद्धार्थ)

